# अनुसूची-ग

## विभागवार सभी प्रशिक्षण/शिक्षण संस्थानों की सूची

### I. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

**(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०)**

(1) दीघा, पटना (2) गया (3) नवादा (4) डेहरी ऑन सोन (5) बक्सर (6) मुजफ्फरपुर (7) सीतामढ़ी (8) मरहौड़ा (9) हथुआ (10) मोतिहारी (11) बेतिया (12) दरभंगा (13) घोघरडीहा (14) भागलपुर (15) सुपौल (16) वीरपुर (17) मुंगेर (18) बेगूसराय (19) कटिहार (20) फारबिसगंज (21) दुमका (22) साहेबगंज (23) रांची (सामान्य) (24) रांची (कल्याण) (25) हजारीबाग (26) धनबाद (27) चाईबासा (28) बोकारो (चास) (29) डाल्टेनगंज (30) हाजीपुर।

**(ख) महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान**

(1) पटना (2) रांची (3) दुमका (4) आरा (5) मुजफ्फरपुर (6) सिवान (7) चाईबासा

**(ग) मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (शॉर्ट टर्म कोर्स)**

(1) लाल मटिया (2) गुआ (3) बसिया

### II. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

**(क) चिकित्सा महाविद्यालय**

1. पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
2. नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
3. श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर
4. दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा
5. राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय, रांची
6. पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद
7. भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर (जे० एल० नेहरू)
8. अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल महाविद्यालय, गया
9. महात्मा गाँधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर

(ख) फार्मेसी इन्स्टीच्यूट (1) पटना, (2) रांची

(ग) दन्त महाविद्यालय (1) पटना

(घ) नरसिंग महाविद्यालय (रांची)

(ङ) ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र

(1) बाढ़ (2) पटना (3) बिहारशरीफ (4) आरा (5) सासाराम (6) छपरा (7) हथुआ (8) समस्तीपुर (9) मुजफ्फरपुर (10) सहरसा (11) दुमका (12) पूर्णिया (13) किशनगंज (14) कटिहार (15) हजारीबाग (16) डाल्टेनगंज (17) मोतिहारी (18) हाजीपुर (19) सीतामढ़ी (20) मधुबनी (21) बेगूसराय (22) जमशेदपुर (23) चाईबासा (24) धनबाद (25) गिरिडीह (26) गया (27) मुंगेर (28) भागलपुर (29) रांची (30) सिमडेगा (31) बेतिया

(च) महिला स्वास्थ्य प्रदेशिका विद्यालय (1) रांची

(छ) क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र

(1) पटना (2) हजारीबाग (3) भागलपुर (4) मुजफ्फरपुर

III. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

(क) राजकीय पोलिटेकनिक (महिला सहित)/खनन संस्थानों की सूची

(1) गुलजारबाग (2) पाटलिपुत्र (3) गया (4) मुजफ्फरपुर (5) दरभंगा (6) पूर्णिया (7) आदित्यपुर (8) खुटरी (9) सहरसा (10) बरौनी (11) भागलपुर (12) दुमका (13) धनबाद (14) राँची (15) पटना (16) जमशेदपुर (17) बोकारो (18) कोडरमा (19) भागा

IV. राज्य सरकार के नियंत्रण में अभियंत्रण महाविद्यालय

1. बिहार इन्स्टीच्यूट ऑफ टेकनॉलाजी - सिन्दरी
2. भागलपुर कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग -भागलपुर
3. मुजफ्फरपुर इन्स्टीच्यूट ऑफ टेकनोलाजी - मुजफ्फरपुर

V. शेष अभियंत्रण महाविद्यालयों की सूची

1. आर० आई० टी० - जमशेदपुर
2. बी० सी० ई० - पटना
3. बी० आई० टी० - मेसरा

## अनुसूची-I

### विभागवार सभी प्रशिक्षण/शिक्षण संस्थानों की सूची

### श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

**बिहार राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ( आई० टी० आई० ) की सूची :-**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | दीघा, पटना |
| 2. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | गया |
| 3. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | नवादा |
| 4. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | डेहरी ऑन सोन |
| 5. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | बक्सर |
| 6. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | मुजफ्फरपुर |
| 7. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | सीतामढ़ी |
| 8. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | मड़हौड़ा |
| 9. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | हथुआ |
| 10. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) |
| 11. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | बेतिया (पश्चिमी चम्पारण) |
| 12. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | दरभंगा |
| 13. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | घोघरडीहा (मधुबनी) |
| 14. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | भागलपुर |
| 15. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | सुपौल |
| 16. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | वीरपुर |
| 17. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | मुंगेर |
| 18. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | बेगूसराय |
| 19. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | कटिहार |
| 20. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | फारबिसगंज (पूर्णिया) |
| 21. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | दुमका (संथाल परगना) |
| 22. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | साहेबगंज (संथाल परगना) |
| 23. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | राँची (सामान्य) |

| | | |
|---|---|---|
| 24. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | राँची (कल्याण) |
| 25. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | हजारीबाग |
| 26. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | धनबाद |
| 27. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | चाईबासा (सिंहभूम) |
| 28. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | बोकारो (चास, धनबाद) |
| 29. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | डालटेनगंज (पलामू) |
| 30. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | हाजीपुर (वैशाली) |
| 31. | महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | पटना |
| 32. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | राँची |
| 33. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | दुमका |

**मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (शॉट टर्म कोर्स)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | लालमटिया |
| 2. | मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | गुआ |
| 3. | मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, | बसिया |

## स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

**(क) चिकित्सा महाविद्यालय :-**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पटना चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल, | पटना |
| 2. | नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, | पटना |
| 3. | श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, | मुजफ्फरपुर |
| 4. | दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, | दरभंगा |
| 5. | राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय, | रांची |
| 6. | पाटलिपुत्रा चिकित्सा महाविद्यालय, | धनबाद |
| 7. | भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय, | भागलपुर |
| 8. | महात्मा गाँधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, | जमशेदपुर |
| 9. | अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल महाविद्यालय, | गया |

**(ख) फार्मेसी इन्स्टीच्यूट :-**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | फार्मेसी इन्स्टीच्यूट, | पटना |
| 2. | फार्मेसी इन्स्टीच्यूट, | राँची |

**( ग ) दन्त महाविद्यालय :-**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पटना दन्त महाविद्यालय, | पटना |

**( घ ) नर्सिंग महाविद्यालय :-**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नर्सिंग महाविद्यालय, | राँची |

**( ङ ) नर्सिंग स्कूल :-**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | बाढ़ (पटना) |
| 2. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | पटना |
| 3. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | बिहारशरीफ (नालंदा) |
| 4. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | बिहारशरीफ (नवादा जिला के लिए) |
| 5. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | आरा (भोजपुर) |
| 6. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | सासाराम (रोहतास) |
| 7. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | छपरा (सारण) |
| 8. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | छपरा (सिवान के लिए) |
| 9. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | हथुआ (गोपालगंज) |
| 10. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | समस्तीपुर (समस्तीपुर) |
| 11. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर) |
| 12. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | सहरसा (सहरसा) |
| 13. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | सहरसा (मधेपुरा के लिए) |
| 14. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | दुमका (दुमका) |
| 15. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | दुमका (गोड्डा जिला के लिए) |
| 16. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | पूर्णिया (पूर्णिया) |
| 17. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | किशनगंज |
| 18. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | कटिहार |
| 19. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | हजारीबाग |
| 20. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | डाल्टेनगंज (पलामू) |
| 21. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) |
| 22. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | हाजीपुर (वैशाली) |
| 23. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | सीतामढ़ी (सीतामढ़ी) |
| 24. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | मधुबनी (मधुबनी) |
| 25. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | मधुबनी (दरभंगा के लिए) |
| 26. | ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, | बेगूसराय (बेगूसराय) |

27. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, बेगूसराय (खगड़िया के लिए)

28. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, जमशेदपुर

29. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, चाईबासा (सिंहभूम)

30. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, धनबाद (धनबाद)

31. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, गिरिडीह (गिरिडीह)

32. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, गया (गया)

33. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, गया (जहानाबाद के लिए)

34. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, गया (औरंगाबाद के लिए)

35. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, बेतिया (प० चम्पारण के लिए)

36. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, भागलपुर (साहेबगंज के लिए)

37. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, मुंगेर (मुंगेर)

38. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, राँची (राँची)

39. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, सिमडेगा (गुमला के लिए)

40. ए० एन० एम० प्रशिक्षण केन्द्र, भागलपुर (भागलपुर)

**(च) महिला स्वास्थ्य प्रदेशिका विद्यालय :-**

1. महिला स्वास्थ्य प्रदेशिका विद्यालय, राँची

**(छ) क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र :-**

1. क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, पटना
2. क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग
3. क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, भागलपुर
4. क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, मुजफ्फरपुर

## विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

राज्य सरकार के नियंत्रण में राजकीय पोलिटेकनिकों की सूची :-

1. राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-13
2. राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-7
3. राजकीय पोलिटेकनिक, गया

4. राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर
5. राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा
6. राजकीय पोलिटेकनिक, पूर्णिया
7. राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा
8. राजकीय पोलिटेकनिक, बरौनी
9. राजकीय पोलिटेकनिक, भागलपुर
10. राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका
11. राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद
12. राजकीय पोलिटेकनिक, राँची
13. राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर
14. राजकीय पोलिटेकनिक, खुटरी
15. राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची
16. राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना
17. राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर
18. राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो
19. राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर
20. राजकीय महिला पोलिटेकनिक, धनबाद
21. राजकीय महिला पोलिटेकनिक, भागा
22. राजकीय महिला पोलिटेकनिक, कोडरमा

**राज्य सरकार के नियंत्रण में अभियंत्रण महाविद्यालय**

1. बिहार इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिंदरी
2. भागलपुर कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, भागलपुर
3. मुजफ्फरपुर इन्स्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, मुजफ्फरपुर

**अन्य अभियंत्रण महाविद्यालय जो राज्य सरकार के अधीनस्थ नहीं हैं :-**

1. आर० आई० टी०, जमशेदपुर (स्वशासी संस्थान)
2. बी० सी० ई०, पटना (पटना विश्वविद्यालय के नियंत्रण में)
3. बी० आई० टी०, मेसरा, राँची (निजी संस्थान डिम्ड विश्वविद्यालय)

---

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

पटना-15, दिनांक 13 दिसम्बर, 1993

## अधिसूचना

संख्या 152/ राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिये प्रमंडल एवं जिला स्तर के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 11/आ० 4 नि० -01/90 का० 147 दिनांक 21-10-90 द्वारा लागू की गयी थी । बाद में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम संख्या-3, 1992) द्वारा आरक्षण की नयी व्यवस्था लागू की गयी । इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जिलों एवं प्रमण्डलों में अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अत्यन्त पिछड़े वर्गों, पिछड़े वर्गों तथा पिछड़े वर्गों की महिलाओं की नियुक्ति में प्रमंडल एवं जिलावार आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया गया है जो परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में संलग्न है ।

2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 में विकलांगों के लिये आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहने के कारण जिलों एवं प्रमंडलों की रिक्तियों में विकलांगों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी है, परन्तु उनके हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रमण्डलों एवं जिलों की रिक्तियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाय तथा ऐसे चयनित व्यक्तियों को उसी वर्ग के कोटा में सामंजित किया जाय जिस वर्ग से वे संबंधित हों । यह सीमा कुल रिक्तियों की तीन प्रतिशत तक रहेगी ।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प संख्या-147 दिनांक 21.10.90, जो जिला एवं प्रमंडल स्तर की नियुक्तियों के लिये प्रभावी था, उसे इस अंश तक संशोधित समझा जाएगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक 11/आ०4/-नीति 10-04/93 का०-152 पटना-15, दिनांक 13.12.93

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशित करें । उनसे यह भी अनुरोध है कि इसकी तीन हजार मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब भेज दिया जाय ।

ह०/- गुलाम ताहिर

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 11/आ० 4-नीति-10-04/93 का०-152 पटना-15, दिनांक 13 दिसम्बर, 93

प्रतिलिपि - सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/लोक उद्यम ब्यूरो/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- गुलाम ताहिर

सरकार के उप सचिव

## परिशिष्ट-ख

### जिलों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु आरक्षण का प्रतिशत

| जिला का नाम | अनु० जाति | अनु० जनजाति | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग की महिला | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. पटना | 15 | 6 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 2. नालन्दा | 19 | 2 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 3. रोहतास<br>4. भभुआ | 19 | 2 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 5. भोजपुर<br>6. बक्सर | 15 | 6 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 7. गया<br>8. जहानाबाद | 26 | 1 | 12 | 9 | 2 | 50 |
| 9. नवादा | 24 | 1 | 13 | 10 | 2 | 50 |
| 10. औरंगाबाद | 23 | 1 | 14 | 10 | 2 | 50 |
| 11. सारण | 14 | 7 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 12. सिवान | 14 | 7 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 13. गोपालगंज | 14 | 7 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 14. भागलपुर<br>15. बांका | 14 | 7 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 16. मुजफ्फरपुर | 16 | 5 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 17. वैशाली | 19 | 2 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 18. सीतामढ़ी | 14 | 7 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 19. पश्चिमी चम्पारण | 14 | 7 | 16 | 11 | 2 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. पूर्वी चम्पारण | 14 | 7 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 21. दरभंगा | 15 | 6 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 22. मधुबनी | 14 | 7 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 23. समस्तीपुर | 18 | 3 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 24. सहरसा<br>25. सुपौल<br>26. मधेपुरा | 16 | 5 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 27. पूर्णिया<br>28. अररिया<br>29. किशनगंज | 11 | 7 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 30. कटिहार | 14 | 7 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 31. दुमका<br>32. देवघर<br>33. गोड्डा<br>34. साहेबगंज | 8 | 31 | 6 | 4 | 1 | 50 |
| 35. मुंगेर<br>36. जमुई<br>37. खगड़िया | 16 | 5 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 38. बेगूसराय | 14 | 7 | 16 | 11 | 2 | 50 |
| 39. हजारीबाग<br>40 चतरा | 19 | 9 | 12 | 8 | 2 | 50 |
| 41. धनबाद | 16 | 10 | 13 | 9 | 2 | 50 |
| 42. बोकारो<br>43. गिरिडीह | 18 | 13 | 10 | 7 | 2 | 50 |
| 44. राँची<br>45. गुमला<br>46. लोहरदग्गा | 5 | 45 | – | – | – | 50 |
| 47. पश्चिमी सिंहभूम<br>48. पूर्वी सिंहभूम | 5 | 44 | 1 | – | – | 50 |
| 49. पलामू<br>50. गढ़वा | 25 | 19 | 3 | 2 | 1 | 50 |

बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

विधि विभाग

## अधिसूचना

पटना, शनिवार 21 अगस्त, 1993

संख्या-एल० जी०-01-03/93 लेज 376-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल 19 अगस्त, 1993 को अनुमति दे चुके हैं, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

**(बिहार अधिनियम-12, 1993)**

## पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग गठित करने और उनसे संबंधित तथा उससे आनुषंगिक बातों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चवालिसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

### अध्याय 1

### प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।**– (1) यह अधिनियम पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

**2. परिभाषाएं ।**– इस अधिनियम में, जबतक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,

(क) "पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, बिहार अधिनियम 3, 1992 में उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट या विनिर्देश की जानेवाली अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से भिन्न पिछड़े वर्ग ।

(ख) 'आयोग" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग ।

(ग) ''सूची'' से अभिप्रेत है, नागरिकों के पिछड़े वर्गों, जो राज्य सरकार की राय में राज्य सरकार और राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, के लिए नियुक्तियों एवं पदों पर आरक्षण का उपबंध करने हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी सूची ।

(घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, अध्यक्ष सहित आयोग का कोई सदस्य ।

(ङ)''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित ।

## अध्याय II

## पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग

**3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन ।**– (1) राज्य सरकार एक निकाय, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं सौंपे गये कृत्यों के निष्पादन हेतु गठित करेगी जो ''पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग'' के रूप में जाना जायेगा ।

(2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे –

(क) अध्यक्ष

(ख) एक समाज विज्ञानी,

(ग) दो व्यक्ति, जो पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध विषयों में विषेष ज्ञान रखते हों, और

(घ) सदस्य सचिव, जो बिहार सरकार के सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर के पदाधिकारी हैं या रह चुके हैं ।

**4. अध्यक्ष तथा सदस्यों की कार्यालय अवधि एवं सेवा शर्त्त ।**– (1) प्रत्येक सदस्य अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा ।

(2) कोई भी सदस्य राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, के कार्यभार से किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है ।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के कार्यभार से हटा सकती है यदि वह व्यक्ति

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है,

(ख) किसी ऐसे अपराध, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक भ्रष्टता से सम्बद्ध है, के कारण दोष सिद्ध हुआ है तथा कारावास की सजा भुगत रहा है;

(ग) जो विक्षिप्त हो जाता है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित किया जा चुका है,

(घ) जो कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है ।

(ङ) जो आयोग से अवकाश की स्वीकृति प्राप्त किए बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा है, या

(च) जिसने राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की प्रतिष्ठा को वैसा कलंकित किया जो, जिसके कार्यालय में बने रहने से पिछड़े वर्गों या जनहित की क्षति होती हो,

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति इस खंड के अधीन तबतक अपने पद से नहीं हटाया जाएगा, जबतक इस संबंध में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो ।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई रिक्ति नये मनोनयन से भरी जायेगी ।

(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते और उनकी सेवा अन्य बंधेज तथा शर्त में ही होगी जो विहित की जाय ।

**5. आयोग के पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी ।**– (1) राज्य सरकार आयोग के कार्य-कलापों के प्रभावशाली निष्पादन के लिए वैसे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों, जो आवश्यक हो, की सेवाएं आयोग को उपलब्ध करायेगी ।

(2) आयोग के लिए नियुक्त पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें वे ही होंगी जो विहित की जाय ।

**6. अनुदान के भुगतान किये जाने वाले वेतन तथा भत्ते ।**– अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और प्रशासनिक व्यय जिसमें पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पंशन जो धारा 5 में निर्दिष्ट है, का भुगतान धारा 12 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से किया जायेगा ।

**7. रिक्तियाँ आदि का आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करना ।**– आयोग के गठन में मात्र किसी रिक्ति या त्रुटि रहने के आधार पर आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी ।

**8. आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया ।**– (1) आयोग की बैठक आवश्यकतानुसार ऐसे समय तथा स्थान पर होगी, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे ।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा ।

(3) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय सदस्य-सचिव या सदस्य-सचिव द्वारा इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी दूसरे पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किये जायेंगे ।

## अध्याय III

## आयोग के कृत्य तथा शक्तियाँ

9. आयोग के कृत्य ।– (1) आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किए गए अनुरोध की जांच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा जैसा वह उचित समझे।

(2) आयोग की राय मानने के लिय सामान्यत: राज्य सरकार बाध्य होगी ।

10. आयोग की शक्तियाँ ।– धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आयोग को वाद का विचारण करनेवाली किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियाँ और विशेष रूप से निम्नलिखित बातों के संबंध में, शक्तियाँ प्राप्त होंगी, यथा :-

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, और शपथ दिलाकर उसकी जांच करना,

(ख) किसी दस्तावेज की खोज तथा उसके उपस्थापन की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति मांगना,

(ङ) गवाहों एवं दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

11. राज्य सरकार द्वारा सूचियों का आवधिक पुनरीक्षण ।– (1) राज्य सरकार, किसी भी समय इस अधिनियम के लागू किए जाने के दस वर्षों की समाप्ति होने पर और उसके बाद प्रत्येक अनुवर्ती दस वर्षों की अवधि पर ऐसी सूची से उन वर्गों को जो पिछड़े वर्ग में नहीं रह गये हों, हटाने के उद्देश्य से या ऐसी सूची में नये पिछड़े वर्गों को शामिल करने के लिए पुनरीक्षण कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय आयोग की राय लेगी ।

## अध्याय -IV

## वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

12. राज्य सरकार द्वारा अनुदान ।– (1) राज्य सरकार अनुदान के रूप में ऐसी रकम का भुगतान आयोग को करेगी, जैसा वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिए उचित समझे ।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए ऐसी राशि खर्च कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और ऐसी राशि को उपधारा-1 में निर्दिष्ट अनुदानों से भुगतेय व्यय के रूप में समझा जायेगा ।

**13. लेखा तथा अंकेक्षण ।–** (1) आयोग समुचित लेखा तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का संग्रहण करेगा तथा महालेखाकार, बिहार से विचार-विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा वैसे प्रपत्र जो विहित किये जायँ, में लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

(2) आयोग के लेखा अंकेक्षण महालेखाकार, बिहार द्वारा ऐसे अन्तराल, जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, पर होगा तथा ऐसे अंकेक्षण में हुए कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार, बिहार को भुगतेय होगा ।

(3) आयोग के लेखा के अंकेक्षण के संदर्भ में महालेखाकार तथा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार रहेंगे जो महालेखाकार, बिहार को सामान्यतया सरकारी लेखा के अंकेक्षण क्रम में प्राप्त हैं और विशेषकर बहियों का लेखा, सम्बद्ध भाउचर तथा अन्य दस्तावेजों और कागजात के उपस्थापन की मांग करने तथा आयोग के कार्यालयों में से किसी कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त रहेगा ।

**14. वार्षिक प्रतिवेदन ।–** आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे समय पर जो विहित किया जाय, अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें विगत वित्तीय वर्ष के दौरान के उसके कार्यकलापों की पूर्ण विवरणी रहेगी तथा इसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा ।

**15. राज्य विधान मंडल के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन का उपस्थापन ।–** राज्य सरकार धारा 9 के अधीन आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई से संबद्ध ज्ञापन तथा प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष उपस्थापित किये जाने वाले अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

## अध्याय-V

## प्रकीर्ण

**16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारी का लोक सेवक होना ।–** भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थांतर्गत आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे ।

**17. नियमावली बनाने की शक्ति ।–** (1) राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी या किसी मामलों के संबंध में उपबंध कर सकेगी, यथा :-

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष तथा सदस्यों और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन पदाधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्त्तें तथा बंधेज,

(ख) फारम जिसमें धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण,

(ग) फारम जिसमें तथा वह समय जब धारा 14 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा,

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय जिसके होने की अपेक्षा हो, या जो विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, रखा जायगा जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में हो सकते हैं । जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाय उस सत्र में या उसके तुरंत वाले सत्र में दोनों सदन नियम में जो रूपांतरण करने को सहमत हों, अथवा यदि इस बात पर सहमत हों कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए तो उसके बाद वह नियम यथास्थिति, या तो रूपांतरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपांतरण या बाधित होने से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी काम की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**18. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति ।**– (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजकीय गजट में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

**19. निरसन और व्यावृत्ति ।**– (1) पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वितीय अध्यादेश, 1993 (बिहार अध्यादेश सं०-17, 1993) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा इनके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

---

बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

विधि विभाग

**अधिसूचना**

पटना, शनिवार, 21 अगस्त, 1993

संख्या-एल०जी०-01-03पार्ट/93 लेज-373-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल 19 अगस्त, 1993 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

(बिहार अधिनियम-11, 1993)

**बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 1993 ।**

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चवालिसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल में निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

**1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।**– (1) यह अधिनियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 1993 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

**2. बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 2 का संशोधन ।**– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) [इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट] की धारा 2 में :-

(I) खंड (क) के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, यथा –

"(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992)"

(II) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा –

"(झ) 'अन्य पिछड़े वर्ग' से अभिप्रेत है, अत्यन्त पिछड़े, पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाएं ।"

(III) खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

"(ञ) 'अत्यन्त पिछड़े तथा पिछड़े वर्गों' से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है वे सभी वर्ग जो इस अधिनियम की अनुसूची I और II में विनिर्दिष्ट किये गये हैं ।"

**स्पष्टीकरण** :- यदि अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची I और अनुसूची II में प्रमाणित वर्गों में से किसी वर्ग को राष्ट्रपति के किसी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है तो ऐसे वर्ग को उक्त अनुसूची से विलोपित हुआ समझा जायेगा ।

(IV) खंड (ट) विलोपित किया जायेगा ।

(V) खंड (ठ) को खंड (ट) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा तथा निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा -

"(ट) 'पिछड़े वर्ग की महिलाओं' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यन्त पिछड़े तथा पिछड़े वर्गों की महिलाएं ।"

(VI) खंड (ड) को खंड (ठ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

"(ठ) 'गुणागुण-सूची' से अभिप्रेत है अधिनियम में किये गये उपबंध के अनुसार तैयार की गयी गुणागुण-क्रम से क्रमांकित उम्मीदवारों की सूची ।"

(VII) खंड (ढ) को खंड (ड) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा ।

**3. बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 3 का संशोधन ।**– उक्त अधिनियम की धारा 3 के खंड (घ), (ङ) और (च) विलोपित किए जायेंगे और खंड (छ) तथा (ज) को खंड (घ) और खंड (ङ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा ।

**4. बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4 का संशोधन ।**– (I) उक्त अधिनियम में धारा 4 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

"(2) आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, निम्नलिखित रूप में होगी :-

| | |
|---|---|
| (क) अनुसूचित जातियाँ | 14 प्रतिशत |
| (ख) अनुसूचित जनजातियाँ | 10 प्रतिशत |
| (ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 14 प्रतिशत |
| (घ) पिछड़ा वर्ग | 10 प्रतिशत |
| (ड़) पिछड़े वर्ग की महिलाएं | 2 प्रतिशत |
| कुल | 50 प्रतिशत'' |

(II) धारा 4 की उपधारा (6) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

''(ग) पिछड़े वर्गों की महिलाओं के निमित्त आरक्षित रिक्तियों के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में उन रिक्तियों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम से भरा जायेगा :-

(i) अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से,

(ii) अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से,

(iii) अत्यन्त पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से, और

(iv) पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से ।

इस संव्यवहार में इस प्रकार भरी गई रिक्तियाँ इस विशेष समुदाय के उम्मीदवारों, जो वस्तुत: नियुक्त किये जाते हैं, के लिये आरक्षित समझी जायेगी ।''

(III) धारा 4 की उपधारा (6) के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा –

''(ङ) यदि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अत्यन्त पिछड़े एवं पिछड़े वर्गों तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के उम्मीदवार, अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों, तो केवल पिछली रिक्तियों को भरने के लिए, यथा स्थिति, केवल अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अत्यन्त पिछड़े तथा पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए ही नया विज्ञापन किया जा सकेगा ।''

(IV) खंड (ङ) के बाद एक नया खंड जोड़ा जायेगा, यथा –

''(च) इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और नियमावली या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री के होते हुए भी धारा 4 का उपबंध ऐसे सभी मामलों में लागू होगा जिनमें चयन की सभी औपचारिकतायें दिनांक 28 अप्रील, 1993 तक पूरी कर ली गयी हैं किन्तु नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किये गये हैं ।''

5. **निरसन और व्यावृत्ति :-** (1) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1993 (बिहार अध्यादेश संख्या 18, 1993) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

**पत्र संख्या-11/वि० 1-180/92 का० 39**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव/सभी विभाग के सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 11 मार्च, 1993 ।

विषय :- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये सरकारी तथा सभी अर्द्धसरकारी सेवाओं में राज्यस्तर की सीधी नियुक्ति में आरक्षण के संबंध में रोस्टर की व्यवस्था ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्देश दिनांक 16-11-1992 तथा दिनांक 17-2-1993 को प्रख्यापित संशोधित अध्यादेश के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-292, दिनांक 2-6-1979 में संशोधित कर राज्यस्तर पर की जानेवाली सीधी नियुक्ति हेतु आदर्श रोस्टर संलग्न की जाती है ।

प्रोन्नति से संबंधित पूर्व निर्गत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-20165, दिनांक 11.8.75 प्रमण्डल, जिला एवं राज्यस्तर की रिक्तियों पर यथावत् प्रभावी रहेगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/-एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

**राज्य स्तर पर की जाने वाली नियुक्ति के लिये रोस्टर**

**( श्रेणी 1, 2, 3 एवं 4 सेवाओं के लिये )**

| | | |
|---|---|---|
| 1. अनारक्षित | 4. अनुसूचित जनजाति | 7. अनारक्षित |
| 2. अनुसूचित जाति | 5. अनारक्षित | 8. अनुसूचित जाति |
| 3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 6. पिछड़ा वर्ग | 9. अनारक्षित |

10. अनारक्षित
11. अनारक्षित
12. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
13. अनुसूचित जनजाति
14. पिछड़ा वर्ग
15. अनुसूचित जाति
16. अनारक्षित
17. अनारक्षित
18. अनारक्षित
19. अनारक्षित
20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
21. पिछड़ा वर्ग की महिला
22. अनुसूचित जाति
23. अनुसूचित जनजाति
24. अनारक्षित
25. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
26. अनारक्षित
27. अनारक्षित
28. अनारक्षित
29. अनुसूचित जाति
30. पिछड़ा वर्ग
31. अनारक्षित
32. अनारक्षित
33. अनुसूचित जनजाति
34. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
35. पिछड़ा वर्ग
36. अनुसूचित जाति
37. अनारक्षित
38. अनारक्षित
39. अनारक्षित
40. अनारक्षित
41. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
42. अनारक्षित
43. अनुसूचित जनजाति
44. अनुसूचित जाति
45. पिछड़ा वर्ग
46. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
47. अनारक्षित
48. अनारक्षित
49. अनारक्षित
50. अनारक्षित
51. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
52. अनुसूचित जाति
53. अनारक्षित
54. अनुसूचित जनजाति
55. पिछड़ा वर्ग
56. अनारक्षित
57. अनारक्षित
58. अनुसूचित जाति
59. अनारक्षित
60. अनारक्षित
61. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
62. अनारक्षित
63. अनुसूचित जनजाति
64. अनारक्षित
65. अनुसूचित जाति
66. पिछड़ा वर्ग
67. अनारक्षित
68. अनारक्षित
69. अनारक्षित
70. अनारक्षित
71. पिछड़ा वर्ग
72. अनुसूचित जाति
73. अनुसूचित जनजाति
74. अनारक्षित
75. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
76. अनारक्षित
77. अनारक्षित
78. अनारक्षित
79. अनुसूचित जाति
80. अनारक्षित
81. पिछड़ा वर्ग
82. अनारक्षित
83. अनुसूचित जनजाति
84. अत्यन्त पिछड़ावर्ग
85. पिछड़ा वर्ग की महिला
86. अनुसूचित जाति
87. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
88. अनारक्षित
89. अनारक्षित
90. अनारक्षित
91. अनारक्षित
92. अनारक्षित
93. अनुसूचित जनजाति
94. अनुसूचित जाति
95. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
96. पिछड़ा वर्ग
97. अनारक्षित
98. अनारक्षित
99. अनारक्षित
100. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

**संकल्प**

7 मई, 1993 ।

**विषय :-** **अन्य पिछड़े वर्गों में से सामाजिक रूप से सम्पन्न व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) की पहचान करने के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन ।**

1. उच्चतम न्यायालय के 1990 की रिट याचिका (सिविल) संख्या-930 इन्दिरा साहनी तथा अन्य आदि बनाम भारत सरकार तथा अन्य आदि में 16 नवम्बर, 1992 को दिये गये अपने बहुमत निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया है कि आज से 4 माह के भीतर भारत सरकार "अन्य पिछड़े वर्गों में से" सामाजिक रूप से सम्पन्न व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) को निकालने के लिये अपनाये जानेवाले संगत और आवश्यक सामाजिक-आर्थिक मापदंड आधार विनिर्दिष्ट करेगी तथा आगे कि 13 अगस्त, 1990 के संदर्भाधीन कार्यालय ज्ञापांक का कार्यान्वयन ऐसे सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) को निकालने के बाद ही किया जायेगा।

2. उपर्युक्त निदेश उन राज्यों में लागू नहीं होगा जहाँ पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण व्यवस्था पूर्व से विहित है । राज्य सरकार उन्हें लागू रख सकती है । ऐसे राज्य आज से छः माह के अन्दर "अन्य पिछड़े वर्गों" में से सामाजिक रूप से सम्पन्न व्यक्तियों/वर्गों को निकालने के लिए आधार विनिर्दिष्ट करेगी और उन्हें लागू करेगी ।

3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिये सामाजिक-आर्थिक मापदंड जैसा आधार निश्चित करने के लिये अत्यधिक विशेषज्ञ साधनों की आवश्यकता होगी । इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि उक्त सामाजिक-आर्थिक मापदंड के बारे में राज्य स्तर की निम्नलिखित व्यक्तियों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाय :-

(1) श्री यू० एन० सिन्हा,
सेवानिवृत्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा - अध्यक्ष ।

(2) प्रो० कमलेश्वरी साहू,
भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, - सदस्य ।

(3) श्री राम उदगार महतो,

पटना विश्वविद्यालय, पटना - सदस्य ।

(4) प्रो० लक्ष्मी नारायण मंडल,

सेवानिवृत्त संयुक्त पशुपालन निदेशक - सदस्य सचिव ।

4. यह समिति उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन से संबंधित ऐसे उन अन्यान्य मामलों पर भी सिफारिश करेगी जो सरकार आवश्यक समझे ।

5. समिति का मुख्यालय पटना रहेगा ।

6. समिति अपने कार्यकलापों के निष्पादन के लिये प्रक्रिया स्वयं विनिश्चय करेगी । सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष समिति द्वारा यथाअपेक्षित सूचना एवं कागजात उपलब्ध करायेंगे एवं उसे सहायता प्रदान करेंगे ।

7. समिति "अन्य पिछड़े वर्गों" से क्रीमी लेयर को हटाने के लिये सामाजिक-आर्थिक मापदंड पर अपनी रिपोर्ट 15 मई, 1993 तक अवश्य प्रेषित करेगी ।

**आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन राजकीय गजट में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए किया जाय ।**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 11/वि०-6 भा०स० (क०म०) 01/93-55 का०, पटना-15 दिनांक 7 मई, 1993

प्रतिलिपि - अधीक्षक, गुलजारबाग मुद्रणालय, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसका मुद्रण असाधारण गजट में किया जाय तथा इसकी एक हजार (1000) प्रतियां मुद्रित कर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में यथाशीघ्र प्रेषित की जाय ।

ह०/- बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 55 का०, पटना-15, दिनांक 7 मई, 1993 ।

प्रतिलिपि - सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव ।

---

**पत्र सं०-14/प्रो०-2-403/91 ( छाया संचिका ) -7832/का०**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

पटना-15, दिनांक 5 अगस्त, 93

**संकल्प**

विषय :- **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ) प्रभावी आरक्षण अधिनियम-3, 1992 एवं द्वितीय आरक्षण संशोधन अध्यादेश संख्या 18, 1993 दिनांक 27.4.93 द्वारा संशोधित धारा 3 ( ङ ) के अन्तर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा सुपर टाईम श्रेणी-I पुराना वेतनमान 1900-2500 एवं नया वेतनमान 4100-5300 प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों को आरक्षण से विमुक्ति के सम्बन्ध में आदेश ।**

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम की धारा-4 के प्रावधानानुसार प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्रमशः 14 एवं 10 प्रतिशत आरक्षण किया जाना है जो बिहार प्रशासनिक सेवा में भी लागू है । किन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय अपर जिला दण्डाधिकारी, सुपर टाईम श्रेणी-I में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों का अनुपात 14 एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है, अतः विचारणीय हो गया है कि सुपर टाईम श्रेणी I के $2^1/_2$ प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर किस सीमा तक प्रभावी रखा जाय ।

2. उक्त विषय सरकार के विचाराधीन था । इस सम्बन्ध में सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त यह नीति निर्णय लिया है कि सुपर टाईम श्रेणी - 1 के $2^1/_2$ प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति में रोस्टर बिन्दु तब तक स्थगित रहेगा जब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 14 एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा रहेगा, किन्तु ज्यों ही उपर्युक्त अनुपात से पदाधिकारियों की संख्या कम हो जाय त्यों ही रोस्टर आरक्षण नियमानुसार स्वतः प्रभावी हो जायगा । मगर प्रत्येक संव्यवहार में कार्मिक (आरक्षण प्रशाखा) विभाग का मंतव्य प्राप्त कर ही पद भरा जायगा । सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि प्रोन्नति हेतु विहित योग्यता एवं वरीयता के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी अगर प्रोन्नति के हकदार होते हैं तो उन्हें यह कहकर कि उनका कोटा पूरा हो गया है, प्रोन्नति से वंचित नहीं किया जायगा । मगर प्रत्येक संव्यवहार में पद भरने के पूर्व कार्मिक (आरक्षण शाखा) विभाग का

आरक्षण मंतव्य पहले प्राप्त कर लेना पूर्ववत अपरिहार्य रहेगा । उपर्युक्त शिथिलीकरण आरक्षण अधिनियम-3, 1992 की धारा 2 (ङ) के तहत किया जाता है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए राजकीय गजट में इसे प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति लोक सेवा आयोग, लोक उद्यम ब्यूरो, प्रत्येक विभाग एवं विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- एस० एस० वर्मा

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-14/प्रो०-2-403/91 (छाया संचिका)-7832 दिनांक 5 अगस्त, 93

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।

ह०/- एस० एस० वर्मा

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-14/प्रो० 2-403/91 (छाया संचिका)-7832 दिनांक 5 अगस्त, 93

प्रतिलिपि लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/लोक उद्यम ब्यूरो, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- एस० एस० वर्मा

सरकार के अपर सचिव ।

**पत्र संख्या-11/आ० वि०स०-1-1044/93 का०-28**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री शिव प्रसाद सिंह, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 6 फरवरी, 93

**विषय :- सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कालावधि का निर्धारण ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या-9277 दिनांक 29 मई, 1971 की कंडिका-4 के अनुपालन में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने भली-भाँति विचारोपरान्त निम्नांकित कालावधि निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन सेवा

| क्रमांक | प्रोन्नति के निम्नतर पद | प्रोन्नति के उच्चतर पद | प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि |
|---|---|---|---|
| 1. | मूल कोटि अनुसंधाता/कनीय सांख्यिकी सहायक/ वरीय सांख्यिकी सहायक/सांख्यिकी निरीक्षक/ कनीय सांख्यिकी पदाधिकारी/सांख्यिकी पर्यवेक्षक/सांख्यिकी विशेषज्ञ (अराजपत्रित) वेतनमान-1500-2750/- पुराना वेतनमान 850 1360/- | कनीय प्रवर कोटि सांख्यिकी पदाधिकारी/सांख्यिकी विशेषज्ञ । वेतनमान-1640-2900/- पुराना वेतनमान 880-1510/- (राजपत्रित) | 8 (आठ) वर्ष |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | कनीय प्रवर कोटि सांख्यिकी पदाधिकारी/ सांख्यिकी विशेषज्ञ वेतनमान-1640-2900/- पुराना वेतनमान-880-1510/- | वरीय प्रवर कोटि सांख्यिकी पदाधिकारी/ सांख्यिकी विशेषज्ञ वेतनमान-1800-3330/- पुराना वेतनमान-940-1660 (राजपत्रित) | 5 (पाँच) वर्ष |
| 3. | वरीय प्रवर कोटि सांख्यिकी पदाधिकारी/ सांख्यिकी विशेषज्ञ वेतनमान- 1800-3330/- पुराना वेतनमान-940-1660/- (राजपत्रित) | सुपर टाईम वरीय प्रवर कोटि सहायक निदेशक (सांख्यिकी) वेतनमान 2000-3800/- पुराना वेतनमान 1000-1820/- (राजपत्रित) | 3 (तीन) वर्ष |
| 4. | सुपर टाईम वरीय प्रवर कोटि सहायक निदेशक (सांख्यिकी) वेतनमान 2000-3800/- पुराना वेतनमान-1000-1820/- (राजपत्रित) | सांख्यिकी प्राधिकारी वेतनमान-2400-4150/- पुराना वेतनमान-1350-2000/- (राजपत्रित) | 2 (दो) वर्ष |

2. कालावधि की गणना निम्नतर पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से की जायगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/- शिव प्रसाद सिंह

सरकार के उप सचिव ।

**पत्र संख्या-11/आ० वि०स०1-1030/92 का०-215**

**बिहार सरकार**

**कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।**

**प्रेषक,**

**श्री एस० एस० मशहदी, सरकार के उप सचिव ।**

**सेवा में,**

**सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमंडलायुक्त ।**

पटना-15, दिनांक 3 दिसम्बर, 92

**विषय :- सरकारी सेवा में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कालावधि का निर्धारण ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के संकल्प संख्या-9277 दिनांक 29-5-71 की कंडिका-4 के अनुपालन में मुझे कहना है कि पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में आदेशपाल संवर्ग में अधिकाल प्रवर कोटि में पदों के सृजन के फलस्वरूप राज्य सरकार ने भली-भाँति विचारोपरान्त प्रोन्नति के लिए निम्नांकित कालावधि निर्धारित करने का निर्णय लिया है :

**सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिए नियंत्रणाधीन सेवा :-**

| क्रमांक | निम्नतर पद | उच्चतर पद | प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि |
|---|---|---|---|
| 1. | वरीय प्रवर कोटि आदेशपाल<br>(वेतनमान 825-1200/-) | अधिकाल प्रवर कोटि आदेशपाल<br>(वेतनमान 950-1400/-) | 2 (दो) वर्ष |

**2. कालावधि की गणना निम्नतर पद पर प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी ।**

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एस० मशहदी

सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या-11/वि० 1-104/92 का०-199

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री भास्कर बैनर्जी, आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त (नाम से)/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपायुक्त (नाम से) ।

पटना-15, दिनांक 11 नवम्बर, 92

**विषयक :- आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय आरक्षण कार्यान्वयन समिति का गठन एवं उसकी नियमित बैठक आयोजित करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संलग्न परिपत्र संख्या-312, दिनांक 24-8-1990 के प्रसंग में मुझे सूचित करना है कि सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार चूँकि कहीं-कहीं जिला समिति के मनोनीत अध्यक्षों के अभाव में उक्त समिति की बैठकें प्रत्येक महीने में एक बार भी नियमित रूप से नहीं हो पाई हैं, अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि जिला का आरक्षण कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष अर्थात वैसे माननीय संसद सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में "जिला मुख्यालय" आता हो, किसी परिस्थिति में अनुपस्थित रहें, तो आरक्षित वर्ग के ऐसे माननीय सांसद अथवा विधायक जो समिति के सदस्य पूर्व से रहे हैं, को उस दिन की बैठक की अध्यक्षता के लिये समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा चयन किया जाय ताकि उस दिन उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक कराई जा सके । कृपया जिला समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों को इसके बारे में तुरंत अवगत करा दें ।

2. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश पर आवश्यक कार्रवाई करते हुये प्रत्येक माह में कम से कम एक बार जिला आरक्षण कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने की व्यवस्था करें तथा बैठक की सूचना (नोटिश) एवं कार्यवाही की प्रतिलिपि यथासमय मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री यू० एन० सिन्हा, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय आरक्षण कार्यान्वयन समिति (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग), मुझे तथा सचिव, कार्मिक विभाग को नियमित रूप में दे दिया करें । भविष्य में यदि किसी जिला समाहर्त्ता द्वारा महीने में कम से कम एक बार भी उक्त समिति की बैठक आयोजित नहीं कराई जाती है तो सरकार इसे गम्भीर अनियमितता समझ कर अनुशासनिक कार्रवाई कर सकती है ।

3. इस पत्र की प्रतिलिपि विधान मंडल सचिवालय के सचिवों/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति के सचिव, बिहार विधान परिषद्/महासचिव, लोकसभा सचिवालय, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली/महासचिव, राज्य सभा सचिवालय, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग को भी सूचनार्थ दी जा रही है। कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

विश्वासभाजन

ह०/- भास्कर बैनर्जी

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त

ज्ञापांक 11/वि० 1-104/92 का०-199 पटना-15, दिनांक 11/11/92

प्रतिलिपि - माननीय अध्यक्ष के सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/माननीय सभापति के सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग/महासचिव, लोकसभा सचिवालय, पार्लियामेन्ट हाउस, नई दिल्ली/ महासचिव, राज्यसभा सचिवालय, पार्लियामेन्ट हाउस, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित। संसद के दोनों सचिवालयों से अनुरोध है कि वे सभी माननीय संसद-सदस्यों को इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करा देने की कृपा करें।

ह०/- भास्कर बैनर्जी

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त

**पत्र संख्या का० 145**

• बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एस० मशहदी, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 28 जुलाई, 92

**विषय :- सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कालावधि का निर्धारण ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-9277 दिनांक 29-5-71 की कंडिका -4 के अनुपालन में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (श्रम पक्ष) के कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत निम्नांकित पदों पर प्रोन्नति हेतु निम्न प्रकार से कालावधि निर्धारण का निर्णय लिया गया है :-

| निम्न स्तर पद | उच्च स्तर पद | प्रोन्नति हेतु कालावधि |
|---|---|---|
| कनीय प्रवर कोटि लिपिक (730-1080) पुनरीक्षित वेतनमान (1400-2300) | निदेशक चिकित्सा सेवायें कर्मचारी राज्य बीमा योजना के निजी सहायक (880-1510) पुनरीक्षित वेतनमान (1640-2900) | 10 वर्ष |

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एस० मशहदी

सरकार के उप सचिव

**पत्र संख्या-11/आ० नि०-05/88 का०-123**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार चौधरी, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 6 जुलाई, 92

**विषय :- सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले संवर्गीय एकल पदों पर आरक्षण रोस्टर के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि एकल पद पर आरक्षण के विषय पर विभिन्न न्यायालयों के निर्णय के आलोक में विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में पृच्छायें प्राप्त हो रही हैं कि एकल पद पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा अथवा नहीं । इस विषय पर विधि विभाग एवं महाधिवक्ता की राय ली गयी है । महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में यह उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-11/आ 1-125/75-का० 20155, दिनांक 8-11-75 की कंडिका में एकल पदों के संबंध में निम्नांकित प्रावधान किया गया था । :-

"यह स्पष्ट कर देना है कि आरक्षण के मामले में अगर किसी भी संवर्ग में एक ही पद सृजित है तो दूसरी बार उक्त पद पर जो रिक्ति होगी वह आरक्षित व्यक्ति की नियुक्ति से ही भरी जायेगी, सामान्य जाति से नहीं । रोस्टर बिन्दु से तात्पर्य पद नहीं है, बल्कि रिक्तियाँ हैं तथा प्रत्येक रिक्ति के साथ रोस्टर बिन्दु आगे पाया जाता है ।"

आरक्षण अधिनियम की धारा 16 के उपबंध में यह प्रावधान है कि "तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि, नियम, इस अध्यादेश से पूर्व बने निर्गत या जारी कोई आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प, जहां तक वे इस अध्यादेश से असंगत नहीं हैं, प्रभावी बने रहेंगे तथा इस अध्यादेश के अधीन निर्गत या पारित समझे जायेंगे ।"

महाधिवक्ता के परामर्श एवं आरक्षण अधिनियम के प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 20165, दिनांक 8-11-75 की कंडिका-3 में एकल पदों के संबंध में जो प्रावधान किया गया है, वह लागू समझा जायेगा तथा तदनुसार यदि किसी संवर्ग में एक ही पद सृजित है, तो दूसरी बार जो रिक्ति होगी वे आरक्षित समझे जायेंगे । दूसरे शब्दों में एकल पद पर आरक्षण रोस्टर लागू किया जायेगा ।

आपसे अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें ।

विश्वासभाजन,
ह०/- अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव ।

**पत्र संख्या-11/वि० 1-121/92 का०-93**

**बिहार सरकार**

**कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग**

**प्रेषक,**

श्री अशोक कुमार चौधरी, सरकार के सचिव ।

**सेवा में,**

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 25 मई, 92

**विषय :-** **किसी जातिविशेष को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर कार्रवाई ।**

**महाशय,**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के समक्ष विभिन्न जातियों के संघों एवं प्रतिनिधियों द्वारा अनेक जातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने का अनुरोध प्राप्त होता रहता है । किसी भी जाति को अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति की सूची में सम्मिलित करने का अधिकार भारत सरकार को ही है । जहाँ तक अत्यन्त पिछड़ी जाति, पिछड़ी जाति एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जाति को सुविधा प्रदान करने का प्रश्न है, इस संबंध में राज्य सरकार ने मुंगेरी लाल आयोग की अनुशंसा को सामने रखते हुए आरक्षण अध्यादेश (जो अब अधिनियम हो चुका है) निर्गत किया था, जिसके परिशिष्ट में उन जातियों की सूची अंकित है। इस सूची में किसी प्रकार का परिवर्त्तन करने हेतु अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी । अतः राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस संबंध में जो भी अभ्यावेदन प्राप्त हो उनकी समीक्षा एक विशेष समिति द्वारा की जाय और समिति उन पर विचार कर यह निर्णय ले कि इन अभ्यावेदनों में प्रथम द्रष्टया तथ्य उपलब्ध है या नहीं । और यदि है तो इस पर जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची तथा अनुग्रह नारायण समाज अध्ययन संस्थान, पटना से जाँच कराने की आवश्यकता है या नहीं । समिति को यह अधिकार भी होगा कि इन अभ्यावेदनों को अस्वीकृत कर दें । समिति का गठन निम्नांकित रूप में किया जाता है :-

1. आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त - अध्यक्ष
2. सचिव, कल्याण विभाग, बिहार - सदस्य
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग - सदस्य
4. संयुक्त सचिव/उप सचिव, प्रभारी आरक्षण शाखा (कार्मिक विभाग) - संयोजक

विश्वासभाजन,

ह०/- अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

## परिशिष्ट-2

उच्च स्तरीय समिति के विचार एवं आवश्यक अनुशंसा हेतु विभिन्न जाति संघों के लम्बित मांगों एवं प्रत्येक की स्थिति ।

| क्रमांक | आवेदक जाति | आवेदक जाति की मांग | माँग पर की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | घटवार जाति | माँग है कि अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाय । यह जाति किसी जाति सूची में नहीं है । | पत्रांक 146 दिनांक 2-11-91 द्वारा निदेशक, जनजाति कल्याण शोध संस्थान, राँची से जाँच प्रतिवेदन माँगा गया है, जो प्रतीक्ष्य है । |
| 2. | खतौरी जाति | यह अत्यन्त पिछड़ी जाति की सूची (क्रमांक 15) में है । इनकी माँग अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की है । | तदैव |
| 3. | नागर जाति | नागर जाति किसी जाति सूची में नहीं है । इनकी माँग अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की है । | तदैव |
| 4. | नोनिया जाति | नोनिया जाति वर्तमान में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (क्रमांक 42) में सम्मिलित है । इनकी मांग है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाय । | नोनिया जाति के संबंध में निदेशक, जनजातीय शोध संस्थान, राँची से पत्रांक-177 दिनांक 24-12-91 द्वारा जाँच प्रतिवेदन माँगा गया है । मूल संचिका उच्च स्तर पर उपस्थापित है । |
| 5. | चन्द्रवंशी (कहार जाति) | यह जाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 30 पर अंकित है । इनकी मांग अनु० जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की है । | पत्रांक 130, दिनांक 12-9-90 द्वारा निदेशक, जनजातीय शोध संस्थान, राँची से प्रतिवेदन माँगा गया है । पत्रांक 82 दिनांक 26-7-92 द्वारा स्मार भी दिया गया है । प्रतिवेदन प्रतीक्ष्य है । |

गोपनीय

## परिशिष्ट-1

श्री भास्कर बैनर्जी, आरक्षण आयुक्त एवं प्रशासनिक सुधार आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक 11-4-90 को 11 बजे (पूर्वाह्न), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने के दावों की जाँच हेतु राज्य उच्च स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही ।

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए हैं :-

| | |
|---|---|
| (1) श्री भास्कर बैनर्जी,<br>आरक्षण आयुक्त एवं प्रशासनिक सुधार आयुक्त, बिहार, पटना | अध्यक्ष |
| (2) श्रीमती मालती सुनीला सिन्हा,<br>सचिव, कल्याण विभाग । | सदस्य |
| (3) श्री चिन्तु नायक,<br>आदिवासी कल्याण आयुक्त, राँची । | सदस्य |
| (4) श्री के० के० पाण्डेय,<br>अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग | सदस्य<br>(सचिव, कार्मिक एवं प्र० सुधार विभाग के प्रतिनिधि) |
| (5) श्री हर्ष वर्धन<br>संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | विशेष आमंत्रित पदाधिकारी |
| (6) श्री शिव प्रसाद सिंह,<br>उप सचिव, कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग | विशेष आमंत्रित पदाधिकारी |
| (7) श्री जयशंकर प्रसाद,<br>उप निदेशक, आदिवासी कल्याण शोध संस्थान, राँची । | निदेशक के प्रतिनिधि |

**कार्यावली संख्या-1 :**

दिनांक 20-1-90 को हुई राज्य उच्च स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया गया ।

**कार्यावली संख्या-2 :**

आज की बैठक में श्री जी. आर. पटवर्द्धन, सचिव, कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग अन्य आवश्यक कामों में व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो सके । उनके स्थान पर श्री के० के० पाण्डेय, अपर सचिव ने बैठक में भाग लिया ताकि बैठक को स्थगित नहीं करना पड़े । विचार-विमर्शोपरान्त बैठक में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गईं :-

**गोंड़ जाति :-** राज्य उच्च स्तरीय समिति ने बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची के प्रतिवेदन पर विचार किया और इनके निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के पास यह अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया कि बिहार राज्य के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले गांड़/गोनड/गोंड/गोन्ड/गोड (GOND) नामक जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में यथावत रखा जा सकता है तथा इन्हें उक्त जाति की सुविधा पूर्ववत प्रदान की जा सकती है । समिति द्वारा विचार के बाद यह भी अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया कि सारण, सिवान, गोपालगंज एवं रोहतास जिलों में बसने वाली गोंड जाति जिन्हें अंग्रेजी में GOND अथवा GONR अथवा GOUR नाम से लिखा जाता रहा है ये सभी एक ही अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं और उन्हें एक ही तरह की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए । उपर्युक्त चार जिलों में GOND (गोंड) एक ही जनजाति है, लेकिन अंग्रेजी भाषा के राजस्व अभिलेखों में कहीं-कहीं

इन्हें (GONR) अथवा GOUR अंकित किया गया है । परन्तु वास्तव में ये एक ही गोंड (GOND) जाति के सदस्य हैं । कोई अलग जाति नहीं समझे जाने चाहिए । समिति द्वारा तदनुसार वर्त्तमान अस्पष्टता (confusion) को दूर करने की अनुशंसा की गई ताकि भविष्य में सारण, सिवान, गोपालगंज और रोहतास जिलों के सम्बन्ध में कोई सन्देह उत्पन्न न हो ।

**कार्यावली संख्या-3 : घटवार जाति :-**

बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची द्वारा अप्रील, 1989 को भेजे गये प्रतिवेदन पर विचार किया गया । इस प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 1438 दिनांक 18-3-89 द्वारा 5-12-89 को कार्मिक विभाग में एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था जो श्री दुर्गा सिंह घटवार, महामंत्री, घटवार आदिवासी संघ, गिरिडीह द्वारा भेजा गया था । इसमें माँग की गयी थी कि घटवार जाति को जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाय और तदनुसार सुविधा उपलब्ध करायी जाय । समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जाँच बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची द्वारा यथाशीघ्र करा ली जाय । उसके बाद उनसे प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन के आधार पर इस बिन्दु पर अंतिम निर्णय लिया जाय । निदेशक, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से अनुरोध किया गया कि प्रतिवेदन भेजते समय घटवार जाति की वर्तमान जनसंख्या के आँकड़े भी जिलावार अंकित कर दें (यदि संभव हो) । कार्मिक विभाग द्वारा उन्हें प्रतिवेदन भेजने के लिये श्री दुर्गा सिंह घटवार, महामंत्री, घटवार आदिवासी संघ, गिरिडीह के आवेदन पत्र की प्रतिलिपि यथाशीघ्र आवश्यक अनुरोध के साथ भेज दिया जाय ।

(कार्रवाई-सचिव, कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग तथा निदेशक, जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची)

**कार्यावली संख्या-4 : खतौरी जाति :-**

समिति ने जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची के पत्र संख्या 136 दिनांक 9-5-86 के साथ भेजे गये प्रतिवेदन पर विचार किया और विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह अनुशंसा की गई कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर खतौरी जाति को पूर्ववत अत्यन्त पिछड़ी जाति की श्रेणी में ही रखा जाना उचित होगा । इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का पर्याप्त औचित्य नहीं दिख पड़ता ।

**कार्यावली संख्या-5 : नोनिया जाति :-**

समिति ने बिहार राज्य नोनिया महासंघ द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर विचार किया जिसमें उन्होंने नोनिया जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है । इस प्रसंग में श्री एस. पी. गुप्ता, तत्कालीन निदेशक, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची के पत्रांक 273 दिनांक 31-12-84 द्वारा भेजे गये प्रति: को देखा गया, जिसमें निम्नांकित अनुशंसा थी :-

"गृह मंत्रालय के पत्रांक 1825/36 एवं 2192/1956 अनुसूची-1 कंडिका 2 (1) (संविधान) (अनुसूचित जातियाँ) आदेश 1950 द्वारा पश्चिम बंगाल के समस्त राज्य में बेलदार, बीन्द एवं नोनिया को त्रिपुरा केन्द्र शासित क्षेत्र में खड़िया को अनुसूचित जाति में रखा गया है ।

बंगाल राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य होने के नाते सरकार उक्त आदेश के अनुरूप इस जाति को इसकी दयनीय, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु विचार कर सकती है ।"

नोनिया महासंघ ने उपर्युक्त प्रतिवेदन का हवाला देते हुए माँग किया था कि इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाय । वास्तव में 1984 के प्रतिवेदन में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग निर्देश (Guidelines) के आधार पर इस तरह की अनुशंसा नहीं की गई थी । इसके बाद पुन: इनकी माँग पर बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची द्वारा विस्तृत रूप से जाँच करायी गयी और उनसे एक विशेष प्रतिवेदन पत्र संख्या 190 दिनांक 30-11-89 द्वारा प्राप्त किया गया है । यह विशेष प्रतिवेदन तत्कालीन आरक्षण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 18-7-87 को हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्राप्त किया गया था । यह प्रतिवेदन काफी विस्तारित है और इसका निष्कर्ष भी स्पष्ट है । भारत सरकार द्वारा किसी भी जाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित/घोषित करने के लिए निम्नांकित मार्गदर्शन (Guidelines) दिये गये थे :-

Scheduled Tribes :— (1) Indications of primitive traits

(2) Distinctive culture

(3) Geographical Isolation

(4) Shyness of contact with the community at large

(5) Backwardness.

उपर्युक्त परिभाषा एवं मार्गदर्शन के आधार पर आज उच्च स्तरीय समिति ने बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची के प्रतिवेदन पर विचार किया । निम्नांकित कारणों से संस्थान के इस निष्कर्ष पर सहमति व्यक्त की गयी कि नोनिया जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्ग की सूची में ही रखा जा सकता है :-

(1) इस समुदाय/जाति में अन्य जनजातियों के समान आदिम लक्षण (primitive traits) तथा विशिष्ट संस्कृति (distinctive culture) देखने को नहीं मिलते ।

(2) इनकी सामाजिक रीति-रिवाज जैसे शादी-विवाह की व्यवस्था, धार्मिक पूजा की व्यवस्था, मृतक-संस्कार इत्यादि में हिन्दू जाति के ही लक्षण मूलत: पाये जाते हैं ।

(3) यह जाति पूरे राज्य में ही व्याप्त है । इसका अस्तित्व खास भौगोलिक खण्ड में सीमित नहीं है, अथवा देखा नहीं जाता है । अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भाँति इनकी अपनी कोई जातिगत बोल-चाल की भाषा भी नहीं है ।

(4) चूँकि वे सामान्य जातियों की तरह पूरे राज्य में व्याप्त हैं, अत: अनुसूचित जनजाति की तरह समाज से अलग नहीं रहते हैं । अर्थात् इनमें shyness of contact with the community at large भी नहीं दीखता है ।

(5) इनमें आर्थिक पिछड़ापन है । हिन्दू समाज के अन्य सामान्य जातियों में भी ऐसा आर्थिक पिछड़ापन विद्यमान है । इसी कारण पर्याप्त अध्ययन एवं विचार के बाद पूर्व से ही इन्हें अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की सूची में रखा गया है ।

आज समिति ने इन बिन्दुओं पर पूर्ण विचारोपरान्त यह अनुशंसा की कि इस नोनिया जाति को उपर्युक्त कारणों से पूर्ववत अत्यन्त पिछड़ी जाति की सूची में ही रखा जाय तथा इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने का औचित्य नहीं है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि मुंगेरी लाल पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा भी पूर्ण विचारोपरान्त नोनिया जाति को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने का परामर्श दिया गया था और यह सुविधा तदनुसार इन्हें वर्ष 1978 से उपलब्ध करा दी गयी है । अतः उच्च स्तरीय समिति के विचार में इसमें परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं दीखता ।

यह निर्णय हुआ कि मुख्यमंत्री महोदय के आदेशोपरान्त जो संलेख मंत्रिमंडल के विचार हेतु भेजा जाय, उसके साथ जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची के अद्यतन प्रतिवेदन के 'निष्कर्षों' को संलग्न कर दिया जाय ।

**कार्यावली संख्या-6 : नागर जाति :-**

इस जाति का अनुरोध है कि उन्हें अत्यन्त पिछड़ी जाति की सूची में रखा जाय । इसके लिए हाल में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर किया गया है जिसका उत्तर शीघ्र देना है । समिति ने इस पर विचार किया । पिछली बैठक में समिति ने अनुशंसा की थी कि इस संबंध में समाहर्त्ता, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा (पत्र संख्या 49 दिनांक 8-9-86) के संदर्भ में निदेशक, ए. एन. सिन्हा इन्स्टीच्यूट, पटना से प्रतिवेदन माँगा जाय । समिति ने आज इस पर विचार कर निर्णय लिया कि पूरे राज्य में बसने वाली सभी पिछड़ी जातियों के बारे में मुंगेरी लाल पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन पहले से ही उपलब्ध है जिसके आधार पर अब तक राज्य सरकार ने जाति विशेषों को अत्यन्त पिछड़ी जाति/पिछड़ी जाति की सुविधा उपलब्ध कराती रही है । मुंगेरी लाल आयोग की अनुशंसा के विपरीत किसी स्थानीय समाहर्त्ता की अनुशंसा को मान्यता नहीं दी जा सकती है । समिति ने आज यह भी अनुभव किया कि जाति विशेष के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग में रखने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित मंडल आयोग की अनुशंसाएं भी उपलब्ध हैं, जिन्हें प्राप्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय को इस संबंध में उत्तर भेजा जा सकता है । भारत सरकार से उपर्युक्त प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिये शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए और इस बीच आवश्यक होने पर माननीय उच्च न्यायालय से समय माँग लिया जा सकता है ।

(कार्रवाई -सचिव, कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग तथा सचिव, कल्याण, विभाग)

ह०/- भास्कर बैनर्जी 11-4-90

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त ।

पत्र संख्या-11/का०-नि०छू०-1002/92 का०-53

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस. एस. मशहदी, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव (प्रभारी सहायक सं० संवर्ग), कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 3 अप्रील, 92

विषयः- सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कालावधि का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-18303 दिनांक 8-12-73 एवं संकल्प संख्या 9277 दिनांक 29-5-71 की कंडिका-4 के अनुपालन की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सहायक संयुक्त संवर्ग के अधीन प्रोन्नति हेतु दिनांक 1-4-89 से उपलब्ध एवं सम्परिवर्तित पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कालावधि गठित करने का निर्णय लिया है :-

| निम्नतर पद एवं वेतनमान | उच्चतर पद एवं वेतनमान | प्रोन्नति हेतु कालावधि (वर्ष में) |
|---|---|---|
| 1. सहायक | कनीय प्रवर कोटि सहायक | 5 (पाँच) वर्ष |
| (1500-2750) | (1640-2900) | |
| 2. कनीय प्रवर कोटि सहायक | वरीय प्रवर कोटि सहायक | 3 (तीन) वर्ष |
| (1640-2900) | (1800-3330) | |
| 3. वरीय प्रवर कोटि सहायक | प्रशाखा पदाधिकारी | 2 (दो) वर्ष |
| (1800-3330) | (2000-3500) | |

4. प्रशाखा पदाधिकारी से निबंधक एवं समकक्ष पदों (2000-3800) तथा उससे उच्चतर पदों यथा अवर सचिव एवं उप सचिव के पदों पर पूर्व से 5 वर्ष /4 वर्ष एवं 3 वर्ष की निर्धारित कालावधि में तत्काल कोई संशोधन नहीं

किया गया है । सहायक से प्रशाखा पदाधिकारी हेतु (8+2) = 10 वर्ष की पूर्व कालावधि को (5 + 3 + 2) = 10 वर्ष ही आँकते हुए कनीय/वरीय पदों हेतु कालावधि निर्धारित की गयी है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एस० मशहदी

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 11/का०-नि० छू०-1002/92 का०-53 पटना-15, दिनांक 3 अप्रील, 92

प्रतिलिपि-सभी विभाग एवं सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- एस० एस० मशहदी

सरकार के उप सचिव ।

**पत्र संख्या-11/वि० 1-1037/91 का०-7**

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार चौधरी, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/बिहार अवर सेवा चयन पर्षद, पटना/सभी विभागीय सचिव ।

पटना-15, दिनांक 15 जनवरी, 92

**विषय :- आवेदन पत्र में आवेदकों से आयकर की सीमा से सम्बन्धित प्रमाण पत्र मांगने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि सरकार को ऐसी सूचनाएँ मिली हैं कि कुछ नियुक्ति पदाधिकारियों द्वारा आरक्षण के लिये योग्य होने हेतु आयकर की सीमा नहीं रख कर मनमाने ढंग से नियुक्ति हेतु विज्ञापनों में आरक्षण अनुमान्यता हेतु आय सीमा निर्धारित की जाती है । विज्ञापनों में इस तरह की आय सीमा निर्धारित करना आरक्षण नियमों तथा सरकारी निदेशों का उल्लंघन होता है ।

अत: राज्य सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार कर यह निर्देश दिया है कि जहाँ तक आरक्षण के लिये योग्य होने हेतु आय का प्रश्न है, राज्य सरकार ने अपने संकल्प संख्या-755, 756 एंव 757 दिनांक 18-11-1978 द्वारा निर्देश जारी किया है कि आरक्षण की सुविधा (अनु० जाति/अनु० जनजाति को छोड़कर) केवल उन्हीं परिवारों को मिल सकेगा जिनकी वार्षिक आय आय-कर की छूट की सीमा से अधिक नहीं है । ऐसे ही प्रावधान आरक्षण अध्यादेश में भी किया गया है । अत: इसके लिये कोई दूसरी आय सीमा अलग से निर्धारित करना नियम संगत नहीं होगा ।

विश्वासभाजन,<br>
ह०/- अशोक कुमार चौधरी<br>
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 11/वि०1 1037/91 का०-7 पटना-15, दिनांक 15 जनवरी, 92,

प्रतिलिपि-सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को भी इससे अवगत करा दें ।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी<br>
सरकार के सचिव ।

## पत्र संख्या-11/वि०-1043/91 का०-6

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार चौधरी, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 15 जनवरी, 92

**विषय :- विभिन्न विभागों के लिये निर्धारित कालावधि में एकरूपता रखने के संबंध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के विभिन्न परिपत्रों द्वारा विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिये कालावधि निर्धारित की गयी है । विभिन्न स्रोतों से राज्य सरकार के समक्ष यह माँग की जाती रही है कि कालावधि में एकरूपता रखी जाय । सिद्धान्त रूप में सरकार इस माँग से सहमत है कि कालावधि में एकरूपता होनी चाहिए । अतः आप से अनुरोध है कि अपने विभाग के अधीनस्थ पदों के विरुद्ध प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि की सूचना एवं अपनी अनुशंसा निम्नांकित प्रपत्र में भेजने की कृपा करें ।

| पद का नाम जिस पर प्रोन्नति होनी है । | वेतनमान | जिस निम्न पद से प्रोन्नति होनी है उसका पदनाम एवं वेतनमान । | कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित कालावधि | विभाग का सुझाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

अनुरोध है कि इस संबंध में वांछित सूचना एवं अनुशंसा शीघ्रतिशीघ्र भेजने की कृपा करें ताकि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सके ।

विश्वासभाजन,

ह०/- अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

**पत्र संख्या-11/वि० 1-1043/91 का०-5**

**बिहार सरकार**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार चौधरी, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष/सभी सचिव ।

पटना-15, दिनांक 15 जनवरी, 92

**विषय :- रोस्टर क्लीयरेन्स के लिए प्रशासी विभाग को प्राधिकृत करने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु आरक्षण वर्ष 1953 से लागू है, इसके अतिरिक्त उक्त जातियों के लिए प्रोन्नति में भी आरक्षण वर्ष 1971 से लागू किया गया है । आरक्षण में जो प्रतिशत (14 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत) लागू है, वही प्रतिशत प्रोन्नति में भी लागू है, इसके लिये एक रोस्टर मॉडल भी पूर्व से परिचारित है ।

2. राज्य सरकार ने वर्ष 1978 से राज्य स्तरीय सीधी नियुक्ति में पिछड़े वर्गों के लिए 8 प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्गों के लिए 12 प्रतिशत, महिला के लिए 3 प्रतिशत एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

3. सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार प्रत्येक आरक्षित वर्ग को निर्धारित आरक्षण कोटा का अनुपात हासिल हो, इसके लिए रोस्टर क्लीयरेंन्स की व्यवस्था अपनाई गई है और इसके लिए सक्षम विभाग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग है ।

4. वर्त्तमान में कई महासंघों/संघों द्वारा रोस्टर क्लीयरेन्स में कथित विलम्ब के आलोक में प्रत्येक विभाग को शक्ति प्रत्यायोजित करने की माँग की गई है । इस सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर गहराई से विचारोपरान्त सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :-

रोस्टर क्लीयरेन्स के लिये पूर्ववत संचिका कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी जायगी, लेकिन तीन महीने तक अगर कार्मिक विभाग द्वारा रोस्टर क्लीयरेन्स नहीं दिया जाता है तो प्रशासी विभाग के सचिव स्वयं सन्तुष्ट होकर रोस्टर के नियमों का पालन करते हुए इस शर्त के साथ औपबन्धिक प्रोन्नति दे देंगे कि यदि कार्मिक विभाग द्वारा अन्तिम रूप से रोस्टर क्लीयरेन्स में कोई अनियमितता पाई गई तो प्रोन्नति आदेश रद्द करते हुए प्रोन्नत कर्मचारी/पदाधिकारी को प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा। औपबंधिक प्रोन्नति आदेश में उपर्युक्त शर्त का स्पष्ट उल्लेख किया जायगा । औपबन्धिक आदेश निर्गत करने के तुरन्त बाद कार्मिक विभाग को रोस्टर क्लीयरेन्स हेतु संचिका भेजी जायगी। अगर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह समझा कि प्रोन्नति गलत दी गई है तो पदाधिकारी/कर्मचारी को पूर्व पद पर प्रत्यावर्त्तित कर दिया जायगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/- अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1913 (श०)

(सं० पटना 10) पटना, मंगलवार, 7 जनवरी, 1992

## विधि विभाग

### अधिसूचनाएँ

7 जनवरी, 1992

सं० एल० जी०1-040/91 लेज०-4-बिहार विधान मंडल का निम्लिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल 2 जनवरी, 1992 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

## [ बिहार अधिनियम सं० 3, 1992 ]

**बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ) अधिनियम, 1991 ।**

राज्य के अधीन पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के यथोचित प्रतिनिधित्व का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।**– (1) यह अधिनियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 कहा जा सकेगा;

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा;

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा सिवाय इसके कि धारा 4, 1 नवम्बर 1990 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. **परिभाषाएं ।**– जबतक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" जहांतक इसका सम्बन्ध किसी स्थापना में सेवा या पद से है, से अभिप्रेत है वैसी सेवाओं या पदों पर नियुक्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी;

(ख) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली जो राजकीय गजट में प्रकाशित हुई हो, द्वारा विहित;

(ग) "स्थापना" से अभिप्रेत है, राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक-सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें सम्मिलित हैं -- (i) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार; या (ii) बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम 6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी लगायी गयी है और जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा सहायिकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता है, और (iii) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया या सहायता प्रदान करती है, और (iv) सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान:

(घ) "सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना" से अभिप्रेत है, कोई उद्योग, वाणिज्य, व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत, नियंत्रित या प्रबंधित हो :-

(i) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम 1, 1956) की धारा 617 में यथा पारिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत्त शेयर पूंजी के एकावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगाई गई हो;

(ङ) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है वह पंचांग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्त्ती की जाती है;

(च) "आरक्षण" से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण;

(छ) "अनुसूचित जाति" का निर्देश भारत-संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन किये गये तथा समय-समय पर यथा- संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से होगा;

(ज) "अनुसूचित जन-जाति" का निर्देश भारत-संविधान के अनुच्छेद [illegible] के अधीन [illegible] तथा समय-समय पर यथासंशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में [illegible] जनजातियों से होगा;

(झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" का निर्देश अत्यन्त पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं से होगा;

(ञ) "अत्यन्त पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है और इसमें वे वर्ग सम्मिलित हैं जो समय-समय पर यथासंशोधित कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 11/ए1-501/78-756 का०, दिनांक 10 नवम्बर 1978 में वर्णित हैं एवं उसके द्वारा परिचारित है तथा इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 1 और 2 में विनिर्दिष्ट है और जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय, आयकर सीमा से कम है;

(ट) "आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा" से अभिप्रेत है और इसमें वे उम्मीदवार सम्मिलित हैं, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय आयकर सीमा से न्यून है;

(ठ) "आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिला" से अभिप्रेत है और इसमें वे उम्मीदवार भी सम्मिलित हैं, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय आयकर सीमा से न्यून है;

(ड) "गुणागुण सूची" से अभिप्रेत है प्रारम्भिक भर्ती या प्रोन्नति के समय में नियुक्ति करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा अंगीकृत नियमों तथा आदेशों के अनुसार तैयार की गयी गुणानुक्रम में अंकित अभ्यर्थियों की सूची;

(ढ) "राज्य" में सम्मिलित है बिहार राज्य की सरकार, विधान मंडल और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार ।

**3. प्रयोज्यता ।–** यह अधिनियम निम्नलिखित में लागू नहीं होगा :-

(क) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन;

(ख) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन;

(ग) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन;

(घ) जो स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हों;

(ङ) जो किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति से रिक्त होता हो;

(च) 45 से कम दिनों के लिए अस्थायी नियुक्तियाँ;

(छ) सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति; और

(ज) ऐसे अन्य पद जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद तुरन्त राज्य विधान मंडल के समक्ष, जब यह कुल चौदह दिनों के लिये सत्र में हो, रखा जायेगा जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं।

**4. सीधी भर्ती के लिए आरक्षण ।–** (1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियां, जो सीधी भर्त्ती के द्वारा भरी जानेवाली हों, निम्नलिखित रूप में विनियमित की जायेंगी, यथा –

| | | |
|---|---|---|
| (क) खुली गुणागुण कोटि से | ..... | 50 प्रतिशत |
| (ख) आरक्षित कोटि से | .... | 50 प्रतिशत |

(2) आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों में से, आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियां इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन निम्नलिखित रूप में होगी :-

| | | |
|---|---|---|
| (क) अनुसूचित जाति | .... | 14 प्रतिशत |
| (ख) अनुसूचित जन–जाति | .... | 10 प्रतिशत |
| (ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | ... | 12 प्रतिशत |
| (घ) पिछड़ा वर्ग | .... | 8 प्रतिशत |
| (ङ) आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाएं | .... | 3 प्रतिशत |
| (च) आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा | ..... | 3 प्रतिशत । |
| | कुल ..... | 50 प्रतिशत |

परन्तु यह कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी :

परन्तु यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए इस धारा में यथा–उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जायेगा ।

(3) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी न कि आरक्षण कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध ।

(4) इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और नियमावली या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री के होते हुए भी उप-धारा (3) का उपबंध ऐसे सभी मामलों में लागू होगा जिनमें चयन की सभी औपचारिकताएं 1ली नवम्बर, 1999 तक पूरी कर ली गई हैं, किन्तु नियुक्ति-पत्र निर्गत नहीं किये गये हैं ।

(5) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियां ऐसे उम्मीदवारों से नहीं भरी जायेंगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के न हों ।

(6) (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति तथा प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में तीन भर्ती वर्षों तक के लिए उन रिक्तियों को आरक्षित बनाये रखा जायेगा और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के बीच रिक्तियों का विनिमय किया जायेगा और विनिमय द्वारा तथापूरित रिक्तियां उस विशेष समुदाय के उम्मीदवार जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जायेगी ।

(ख) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसी आरक्षित रिक्तियां तीन भर्त्ती-वर्षों तक के लिए आरक्षित बनी रहेगी और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों तो रिक्तियां अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से विनिमय द्वारा भरी जायेंगी और विनिमय द्वारा तथापूरित रिक्तियां उस विशेष समुदाय के योग्य उम्मीदवारों, जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जायेंगी ।

(ग) आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्तियां प्रथमतः अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा, उसके बाद अत्यन्त पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा और उसके बाद पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जायेंगी । इस संव्यवहार में इस प्रकार भरी गई रिक्तियां उक्त विशेष समुदाय के उम्मीदवारों, जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जायेंगी ।

(घ) यदि किसी भर्ती वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अत्यन्त पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या, विनिमय फार्मूला के बाद भी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम है तो शेष पूर्वागत (बैक लॉग) रिक्तियां, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से, उन्हें अनारक्षित करके भरी जा सकेंगी, किन्तु वैसी अनारक्षित रिक्तियां तीन भर्त्ती वर्षों तक अग्रनीत रहेंगी;

(ङ) यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति और अत्यन्त पिछड़े और पिछड़े वर्गों की अपेक्षित संख्या आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने के लिए उपलब्ध नहीं हो तो पूर्वागत (बैक लाग) रिक्तियों को ही भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति और अत्यन्त पिछड़े और पिछड़े वर्गों, यथास्थिति, के उम्मीदवारों के लिए ही नया विज्ञापन किया जायेगा ।

**5. आरक्षण नीति का पुनर्विलोकन ।**– (1) राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह धारा 4 के अधीन विभिन्न आरक्षित कोटियों के लिए नियत अनुपात में, धारा 2 के खंड (ग) एवं (घ) में यथापरिभाषित राज्य की सभी स्थापनाओं की विभिन्न सेवाओं या पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति और अत्यन्त पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति हेतु प्रयास करें ।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक 10 वर्षों के बाद अपनी आरक्षण नीति का पुनर्विलोकन करेगी :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद तुरन्त, राज्य विधान मंडल के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं, रखा जायेगा ।

6. आदर्श रोस्टर ।– (1) राज्य सरकार राज्य और जिला स्तर दोनों की रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती के लिए 100 बिन्दुओं और प्रोन्नति के लिए 50 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर विहित करेगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक कोटि के पदों के लिए सीधी भर्त्ती और प्रोन्नति हेतु विहित फारम में पृथक चालू रोस्टर रखेगा ।

7. रियायत ।– किसी भी सेवा या पद पर चयन के लिए परीक्षा हेतु विहित शुल्क, यदि कोई हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में घटाकर 1/4 कर दिया जायेगा ।

8. सम्पर्क पदाधिकारी ।– सरकार के हरेक विभाग में, स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी को, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, इस अधिनियम द्वारा उपबंधित मामले के संबंध में सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए विभागीय सचिव द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा और वह निम्नलिखित का उत्तरदायी होगा :-

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ख) अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ग) विवरणियों का समय पर उपस्थापन सुनिश्चित करना;

(घ) रोस्टरों और यथाविहित ऐसे अन्य अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करना;

(ङ) प्रशासनिक विभाग और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के बीच सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करना;

(च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के संगठन या किसी व्यक्ति से प्राप्त परिवादों के अन्वेषण में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और आरक्षण आयुक्त को आवश्यक सहायता सुनिश्चित करना ।

9. समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के पदाधिकारियों का मनोनयन ।– राज्य सरकार हरेक स्थापना/प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के एक पदाधिकारी का मनोनयन करेगी ।

10. अभिलेख मांगने की शक्ति ।– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई सदस्य, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन नहीं करने से प्रतिकूलतः प्रभावित होता है, तो वह राज्य सरकार की नोटिस में उस तथ्य को ला सकेगा और उसके द्वारा आवेदन करने पर राज्य सरकार ऐसे अभिलेख मंगा सकेगी या उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जिसे वह उचित समझे ।

11. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई की सुरक्षा ।– कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं चलायी जायेगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो या किए जाने के लिए आशयित हो ।

12. शास्ति ।– यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन कर नियुक्ति/प्रोन्नति करता है तो वह एक हजार रुपये तक के जुर्माने या तीन महीने के कारावास या दोनों से दंडनीय होगा ।

13. अभियोजन की मंजूरी ।– इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी अभियोजन संस्थित नहीं होगा ।

14. कठिनाइयों का निराकरण ।– यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकेगी या ऐसे आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे ।

15. नियम बनाने की शक्ति ।– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले में उपबंध कर सकेगी, यथा :-

(क) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा;

(ख) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता प्रदायी अंक;

(ग) वह फारम, जिसमें प्रत्येक स्थापना, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को ऐसी स्थापना में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(घ) कोई अन्य विषय जो रखा जाने वाला हो या इस अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित या उसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य कोई विषय :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन बनाये गये किसी नियम को बनाये जाने के बाद तुरत राज्य विधान मंडल के हरेक सदन के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, रखा जायेगा, जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं । जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाय, उस सत्र में या उसके तुरत बाद वाले सत्र में दोनों सदन नियम में जो उपान्तरण करने को सहमत हों अथवा यदि इस बात पर सहमत हों कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए तो उसके बाद, वह आदेश, यथास्थिति, या तो रूपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपान्तरण या बाधित होने से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी काम की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

16. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव ।– तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि तथा नियमों, न्यायालयों के किये गये किसी निर्णय या डिक्री या निर्गत किसी आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम, नियम या संकल्प में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि, नियम, इस अधिनियम से पूर्व बने, निर्गत या जारी कोई आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं, प्रभावी बने रहेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत या पारित समझे जायेंगे ।

**17. निरसन एवं व्यावृत्ति ।**– (1) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अध्यादेश, 1991 (अध्यादेश संख्या 33, 1991) एवं बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (अध्यादेश संख्या 34, 1991) निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

---

## अनुसूची 1

[कृपया देखें धारा 2 (अ)]

### अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची

(1) कपरिया
(2) कानू
(3) कवार
(4) कलन्दर
(5) कोछ
(6) कुर्मी (महतो) [केवल छोटानागपुर डिवीजन के लिये]
(7) केवट (कउट)
(8) कादर
(9) कोरा
(10) कोरकू
(11) केवर्त्त
(12) कुमारभाग पहाड़िया
(13) खटवा
(14) खरवार (सिवान एवं रोहतास जिले के)
(15) खतौरी
(16) खंगर
(17) खटिक
(18) खेलटा
(19) खतवे
(20) खोन्द
(21) गोड़ी (छावी)
(22) गंगाई (नागेश)
(23) गंगोता
(24) गोड़ या गोंड़ (सारण तथा रोहतास जिले में)
(25) गंधर्व
(26) गुलगुलिया
(27) गौड़
(28) चांय
(29) चपौता
(30) चन्द्रवंशी (कहार)
(31) टिकुलहार
(32) ढेकारू
(33) तांती (ततवा)

(34) तमरिया
(35) तुरहा
(36) तियर
(37) धारु
(38) धानुक
(39) धामिन
(40) धीमर
(41) धनवार
(42) नोनिया
(43) नइया
(44) नाई
(45) नामशुद्र
(46) पाण्डी
(47) पाल (भेड़िहार गड़ेरी)
(48) प्रधान
(49) पिनगनिया
(50) पहिरा
(51) वारी
(52) बेलदार
(53) बिन्द
(54) बनजारा
(55) सेखड़ा
(56) बागदी
(57) भुईयार
(58) भार
(59) भुइया
(60) भास्कर
(61) माली (मालाकार)
(62) मांगर
(63) मदार
(64) मल्लाह (सुरहिया)
(65) मझवार
(66) मारकन्डे
(67) मोरियारी
(68) मलार (मालहोर)
(69) मौलिक
(70) राजधोबी
(71) राजभर
(72) रंगवा
(73) बनपर
(74) बेदिया
(75) सौटा (सोता)
(76) संतराश (केवल नवादा जिले के लिये)
(77) अगरिया
(78) अघोरी
(79) अबदल
(80) कसाब (कसाई) (मुस्लिम)
(81) चीक (मुस्लिम)
(82) डफाली (मुस्लिम)
(83) धुनिया (मुस्लिम)
(84) धोबी (मुस्लिम)
(85) नट (मुस्लिम)
(86) पमरिया (मुस्लिम)
(87) भटियारा (मुस्लिम)
(88) भाट (मुस्लिम)
(89) मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर, भंगी, (मुस्लिम)
(90) मिरियासीन (मुस्लिम)
(91) मदारी (मुस्लिम)
(92) मीरशिकार (मुस्लिम)
(93) साई (मुस्लिम)
(94) मोमिन (मुस्लिम)

नोट :- उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए जैसे- तेली में दोनों हिन्दू तथा मुसलमान तेली ।

## अनुसूची 2

[कृपया देखें धारा 2 (ज)]

### पिछड़े वर्गों की सूची

(1) अमात
(2) कागजी
(3) कमार (लोहार और कर्मकार)
(4) कुशवाहा (कोईरी)
(5) कांस्ता
(6) गद्दी
(7) घटवार
(8) चुड़ीहार (मुस्लिम)
(9) चनउ
(10) जदुपतिया
(11) जोगी (जुगी)
(12) तमोली
(13) तेली
(14) देवहार
(15) नालबंद (मुस्लिम)
(16) प्रजापति (कुम्हार)
(17) परथा
(18) बढ़ई
(19) बड़ई
(20) बनिया (सूढ़ी, हलवाई, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केसरबानी, ठठेरा, कलवार, पटवा, कमलापुरी वैश्य, सिन्दुरिया बनिया, माहुरी वैश्य, अवध बनिया, बंगी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य (पोद्दार)
(21) मुकरी (मुकेरी) (मुस्लिम)
(22) यादव (ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर)
(23) राजवंशी (रिसिया या पोलिया)
(24) रंगरेज (मुस्लिम)
(25) रौतिया
(26) राईन या कुंजरा (मुस्लिम)
(27) लहेड़ी
(28) शिवहरी
(29) सोनार
(30) सूत्रधार
(31) सुकियार
(32) इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)
(33) ईसाई धर्मावलम्बी (हरिजन)
(34) ईसाई धर्मावलम्बी (अन्य पिछड़ी जाति)
(35) कुर्मी (महतो)

**नोट** :- उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिये, जैसे-तेली में दोनों हिन्दू या मुसलमान तेली ।

विन्देश्वरी प्रसाद यादव
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

विधि विभाग

**अधिसूचना**

7 जनवरी, 1992

सं० एल० जी०1-040/91-लेज०-5-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 2 जनवरी, 1992 को अनुमत बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम संख्या 3, 1992) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

(The Bihar Act, 3 1992)

# THE BIHAR RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES (FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ACT, 1991.

An

Act

TO PROVIDE FOR ADEQUATE REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES IN POSTS AND SERVICES UNDER THE STATE.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Forty-Second year of the Republic of India as follows :—

1. *Short title, extent and commencement* .— (1) This Act may be called the Bihar Reservation of Vacancies in posts and services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect except section 4 which shall be deemed to have come into force with effect from the 1st November, 1990.

2. *Definitions* .— In this Act, unless the context otherwise requires :—

(a) "Appointing authority" in relation to a service or post in an establishment, means the authority empowered to make appointment to such services or posts;

(b) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act and published in the Official Gazette;

(c) "Establishment" means any Office or department of the State concerned with the appointments to public services and posts in connection with the affairs of the State and includes (i) local or statutory authority constituted under any State Act for the time being in force, or (ii) a co-operative institution registered

under the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 (Act 6 of 1935) in which share is held by the State Government or which receives aid from the State Government in terms of loan, grant, subsidy etc. and (iii) Universities and Colleges affiliated to the Universities, Primary, Secondary and High Schools and also other educational institutions which are owned or aided by the State Government and (iv) an establishment in public sector;

(d) "Establishment in public sector" means any industry, trade, business or occupation owned, controlled or managed by :—

(i) the State Government or any department of the State Government;

(ii) a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (Act 1 of 1956). or a Corporation established by or under a Central or State Act, in which not less than fifty-one per cent of the paid-up share capital is held by the State Government;

(e) "Recruitment Year" means the calender year during which a recruitment is actually made;

(f) "Reservation" means reservation of vacancies in posts and services for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes;

(g) "Scheduled Castes" shall have reference to the Scheduled Castes specified in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 made under Article 341 of the Constitution of India and as amended from time to time;

(h) "Scheduled Tribes" shall have reference to the Scheduled Tribes specified in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 made under Article 342 of the Constitution of India and as amended from time to time;

(i) "Other Backward Classes" shall have reference to extremely backward and backward class, economically backward and economically backward women;

(j) "Extremely Backward and Backward Classes" mean and include those castes which have been mentioned and circulated vide Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar Resolultion No. 11/AI-501/78-756/Ka, dated the 10th November 1978 as amended from time to time

and specified in Schedule I and II of this Act and whose annual family income from all sources is less than the income-tax limit;

(k) "Economically Backward" mean and include those candidates whose annual family income from all sources is less than the income-tax limit;

(l) "Economically Backward Women" mean and include those candidates whose annual family income from all sources is less than the income-tax limit;

(m) "Merit list" means the list of candidates arranged in order of merit prepared according to the rules and orders issued by the State Government and adopted by competent authority for making appointments in respect of initial recruitment or promotion;

(n) "State" includes the Government, the Legislature and the Judiciary of the State of Bihar and all local or other authorities within the State or under the control of the State Government.

*3. Applicability*.— (I) This Act shall not apply in relation to,

(a) any employment under the Central Government;

(b) any employment in the private sector;

(c) any employment in the domestic services;

(d) those which are filled up by transfer or deputation;

(e) those which fall vacant when a person goes on deputation;

(f) temporary appointments of less than 45 days duration;

(g) appointments made on compassionate ground on the death of a government servant while in service;

(h) such other posts as the State Government may from time to time by order specify :

Provided that every order made under this section shall be laid as soon as may be, after it is made, before the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions.

*4. Reservation for direct recruitment*.— All appointments to services and posts in an establishment which are to be filled by direct recruitment shall be regulated in the following manner, namely :—

(1) The available vacancies shall be filled up : —

| | | |
|---|---|---|
| (a) from open merit category | ...... | 50% |
| (b) from reserved category | ....... | 50% |

(2) The vacancies from different categories of reserved candidates from amongst the 50% reserved category shall, subject to other provisions of this Act, be as follows :—

| | | |
|---|---|---|
| (a) Scheduled Castes | ..... | 14% |
| (b) Scheduled Tribes | ...... | 10% |
| (c) Extremely Backward Class | .... | 12% |
| (d) Backward Class | .... | 8% |
| (e) Economically Backward Woman | .... | 3% |
| (f) Economically Backward | .... | 3% |
| | Total | 50% |

Provided that the State Government may by notification in the official Gazettte, fix different percentage for different districts in accordance with the percentage of population of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Clases in such districts;

Provided further that in case of promotion, reservation shall be made only for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the same proportion as provided in this section.

(3) A reserved category candidate who is selected on the basis of his merit shall be counted against 50% vacancies of open merit category and not against the reserved category vacancies.

(4) Notwithstanding anything contained to the contrary in this Act or in any other law or rules for the time being in force, or in any judgement or decree of the Court, the provision of sub-section (3) shall apply to all such cases in which all formalities of selection

have been completed before the 1st November 1990, but the appointment letters have not been issued.

(5) The vacancies reserved for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other Backward Classes shall not be filled up by candidates not belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes except as otherwise provided in this Act.

(6) (a) In case of non-availability of suitable candidates from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for appointment and promotion in vacancies reserved for them, the vacancies shall continue to be reserved for three recruitment years and if suitable candidates are not available even in the third year, the vacancies shall be exchanged between the Schedueld Castes and Scheduled Tribes and the vacancies so filled by exchange shall be treated as reserved for the candidates for that particular community who are actually appointed.

(b) In case of non-availability of suitable candidates from the Extremely Backward classes and Backward Classes the vacancies so reserved shall continue to be reserved for them for three recruitment years and if suitable candidates are not available even in the third year also, the vacancies shall be filled by exchange between the candidates from the Extremely Backward and Backward Classes and the vacancies so filled by exchange shall be treated as reserved for the candidates of that particular community who are actually appointed.

(c) In case of non-availability of suitable candidates for the vacancies reserved for the economically backward women the vacancies shall be filled first by the candidates from the Scheduled Castes, then by the candidates from the Scheduled Tribes, then by the candidates from the extremely backward class and then by the candidates from backward class. The vacancies so filled in the transaction shall be treated as reserved for the candidates of that particular community who are actually appointed.

(d) If in any recruitment year, the number of candidates of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, extremely Backward and Backward Classes are less than the number of vacancies reserved for them even after exchange formula the remaining backlog vacancies may be filled by general candidates after dereserving them but the vacancies so dereserved shall be carried forward for three recruitment years.

(e) If the required number of candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Extremely Backward and Backward Classes are not available for filling up the reserved vacancies, fresh advertisement may be made only for the candidates belonging to the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Extremely Backward and Backward Classes as the case may be, to fill the backlog vacancies only.

5. *Review of Reservation Policy*.— (1) It shall be the duty of the State Government to strive to achieve the representation of the Scheduled Castes/Schedueld Tribes and Other Backward Classes in the various services or posts of all the establishments of the State as defined in clause (c) and (d) of Section 2 in the proportion fixed for various reserved categories under Section 4.

(2) The State Government shall review its reservation policy after every ten years :

Provided that every order made under sub-section (2) shall be laid as soon as may be after it is made, before the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one or in two successive sessions.

6. *Model Roster*.— (1) The State Government shall prescribe a Model Roster of 100 points for direct recruitment and 50 points for promotion both for the State and District level vacancies.

(2) The appointing authority shall maintain separate running rosters for recruitment and promotion in prescribed form for each category of posts under his control.

7. *Concession*.— Fees, if any, prescribed for any examination for selection to any service or post shall be reduced to 1/4 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

8. *Liaison officer*.— In each department of the Government, an officer-in-charge of establishment, not below the rank of Joint Secretary, shall be authorised by the Secretary of the Department to act as a Liaison Officer in respect of the matters provided under this Act and shall be responsible for :—

(a) ensuring proper implementation of the provisions of this Act and rules made thereunder;

(b) ensuring compliance by the sub-ordinate authority;

(c) ensuring timely submission of the returns;

(d) ensuring annual inspections of Rosters and such other records, as may be prescribed;

(e) acting as a Liaison Officer between the Administrative Department and the Department of Personnel and Administrative Reforms;

(f) ensuring necessary assistance to Department of Personnel and Administrative Reforms, and the Reservation Commissioner in the investigation of complaints received from any organisation or an individual belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

9. *Nomination of Scheduled Castes/Scheduled Tribes officer in Committee* .—The State Government shall nominate an Officer of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes on every Establishment/Promotion Committee.

10. *Power to call for records* .— Any member of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes who is adversely affected on account of the non-compliance with the provisions of this Act or the rules made thereunder by any appointing authority, may bring the fact to the notice of the State Government and upon application made by him the State Government may call for such records or take such action thereon as it may think fit.

11. *Protection of action taken in good faith* .— No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for any thing which is done or intended to be done in good faith under this Act.

12. *Penalty* .— If any appointinig authority makes an appointment/ promotion in contravention of any of the provisions of this Act he shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees or imprisonment for 3 months or both.

13. *Sanction for prosecution* .— No prosecution for an offence under this Act shall be instituted without the prior sanction of the State Government.

14. *Removal of difficulties*.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may take such steps or issue such orders not inconsistent with the provisions of this Act as it may consider necessary for removing the difficulty.

15. *Power to make rules*.—(1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) Maximum age-limit for first recruitment to any service or post.

(b) The minimum qualifying marks for direct recruitment to any service or post.

(c) Form in which every establishment shall submit annual report to the department of Personnel and Administrative Reforms regarding number of persons recruited in such establishment.

(d) Any other matter which has to be made or any other matter connected with or for the purpose of carrying out the provisions of this Act;

Provided that every rule made under this Section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both the Houses agree in making any modification in the rule or both the Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done under that rule.

16. *Overriding effect of the Act*.— Notwithstanding any thing contrary in any other law and Rules for the time being in force, any judgement or decree of court, any order, notification, circular, scheme, rule or resolution made or issued the provision of this Act shall have effect :

Provided that any other law, rule for the time being in force, any order, notification, circular, scheme, resolution made, issued or passed prior to this Act, so far as it is not inconsistent with this Act, shall continue to be in force and shall be deemed to have been made, issued or passed under this Act.

17. *Repeal and Savings*.—The Bihar Reservation of vacancies in Posts and services (For Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Ordinance, 1991 (Bihar Ordinance no. 33, 1991) and The Bihar Reservation of vacancies in Posts and Services (For Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 1991 (Bihar Ordinance no. 34, 1991) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in the exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

SCHEDULE I

LIST OF EXTREMELY BACKWARD CLASSES

1. Kapadia
2. Kanu
3. Kawar
4. Kalandar
5. Kochh
6. Kurmi (Mahto) (only for Chhotanagpur Division)
7. Kewat (Kaut)
8. Kadar
9. Kaura
10. Korku
11. Kaibart
12. Kumar Bhag Paharia
13. Khatwa
14. Kharwar
15. Khatouri
16. Khangar
17. Khatik
18. Khekta
19. Khatwe
20. Khond
21. Gorhi (Chhabi)
22. Gangai (Nagesh)
23. Gangota
24. Gour or Gonr
25. Gandharb'
26. Gulgalia
27. Gour
28. Chain
29. Chapota
30. Chandrabansi (Kahar)
31. Tikulhar
32. Dhekaru
33. Tanti (Tatwa)
34. Tamaria
35. Turha

36. Tiar
37. Tharu
38. Dhanuk
39. Dhamin
40. Dhimar
41. Dhanwar
42. Nonia
43. Naiya
44. Nai
45. Namsudar
46. Pandu
47. Pal (Bherihar) (Gareri)
48. Pradhan
49. Pingania
50. Pahira
51. Bari
52. Beldar
53. Bind
54. Banjara
55. Shekhra
56. Bagdi
57. Bhuiyar
58. Bhar
59. Bhuiya
60. Bhaskar
61. Mali (Malakar)
62. Mangar
63. Madar
64. Mallah (Surhia)
65. Majhwar
66. Markandey
67. Moriyari
68. Malar (Malhor)
69. Molik
70. Rajdhobi
71. Rajbhar
72. Rangwa
73. Banpar
74. Badia
75. Shota (Shota)
76. Sang-Trash (for Nawadah district)
77. Agaria
78. Aghouri
79. Abdal
80. Kasab (Kasai) (Muslim)
81. Chik (Muslim)
82. Dafali (Muslim)
83. Dhunia (Muslim)
84. Dhobi (Muslim)
85. Nut (Muslim)
86. Pamaria (Muslim)
87. Bhathiara (Muslim)
88. Bhat (Muslim)
89. Mehtar Lalbegia Halkhor Bhangi (Muslim)
90. Miriasin (Muslim)
91. Madari (Muslim)
92. Meershikar (Muslim)
93. Saeen (Muslim)
94. Momin (Muslim)

Note :- Those castes and classes in respect of whom the word Muslim has not specifically been mentioned, would belong to both Hindu and Muslim communities. For example Teli means both Hindu and Muslim Teli.

SCHEDULE II

LIST OF BACKWARD CLASSES

1. Amat
2. Kagji
3. Kamar (Lohar & Karmakar)
4. Kuswaha (Koiri)
5. Kosta
6. Gaddi
7. Ghatwar
8. Churihar (Muslim)
9. Chanau
10. Jadupatia.
11. Jogi (Jugi)
12. Tamoli
13. Teli
14. Dewhar
15. Nalband (Muslim)
16. Prajapati (Kumhar)
17. Partha
18. Barhi
19. Barai
20. Bania (Sundi, Halwai, Roniar, Pansari, Modi, Kasera, Kesarwani, Thathera, Kalwar, Patwa, Kamlapuri, Vaishya, Sinduria-Bania, Mahuri-Vaishya, Awadh Bania, Bangia Vaishya (Bengali Bania), Barnwal, Agrahari Vaishya, Poddar)
21. Mukri (Mukeri) (Muslim)

22. Yadav (Gwala, Ahir, Gora, Ghasi, Mehar)

23. Rajbansi (Risia or Polia)

24. Rangrej (Muslim)

25. Rautia

26. Raeen or Kunjara (Muslim)

27. Laheri

28. Shivhari

29. Sonar

30. Sutardhar

31. Sukiar

32. Idiris or Darzi (Muslim)

33. Isai Dharmawalambi (Harijan)

34. Ishai Dharmawalambi (Anya Pichari Jati)

35. Kurmi (Mahto)

Note :- Those castes and classes in respect of whom the word Muslim has not specifically been mentioned, would belong to both Hindu and Muslim communities. For example Teli means both Hindu and Muslim Teli.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विन्देश्वरी प्रसाद यादव,

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

## अधिसूचना

**विषय :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ी जाति/ अत्यन्त पिछड़ी जाति/ महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण संबंधी नीति के कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय समिति का गठन ।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 15372 दिनांक 2-12-80 तथा संकल्प संख्या 59, दिनांक 5-2-93 एवं अधिसूचना संख्या 624, दिनांक 26-7-1983 द्वारा आरक्षण नीति के कारगर कार्यान्वयन के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित रूप से उच्चस्तरीय समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

1- मुख्यमंत्री - अध्यक्ष

2- श्री यू. एन. सिन्हा (अवकाश प्राप्त भा. प्र. से.) - उपाध्यक्ष ।

सदस्यगण

1- नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ।

2- नेता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ।

3- नेता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)।

4- नेता, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ।

5- नेता, इंडीयन पीपुल्स फ्रंट ।

6- नेता, सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया) ।

7- नेता, मार्क्सवादी समन्वय पार्टी ।

8- नेता, झारखण्ड पार्टी ।

9- श्री भोला प्रसाद सिंह, भूतपूर्व स० वि० स० ।

10- श्री सूरज मंडल, सांसद ।

11- श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा, स० वि० स० ।

12- आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त।

13- सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार ।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में आरक्षण प्रशाखा के प्रभारी संयुक्त सचिव/उपसचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे ।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-59, दिनांक 5-2-1983 द्वारा विहित समिति के कार्यालय इत्यादि पूर्ववत प्रभावी रहेंगे ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार/ सचिव, लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्षों तथा सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेजी जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-15/वि०अभि० 301/89 का०-168

पटना-15, दिनांक 2 दिसम्बर, 1991।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी तथा सभी सदस्यगण को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

**पत्र संख्या-11/वि०1-26/89 का०-107**

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार चौधरी, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 6 सितम्बर, 91

विषय :- **बिहार राज्य में बसने वाली गोड़ (Gour) जाति को गोंड (Gond) जाति की तरह अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली सुविधायें देने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार का ज्ञाप संख्या 11/वि० 1-26/89 का०-25 दिनांक 25 फरवरी, 1991 से निर्गत संकल्प द्वारा भली-भाँति विचार करने के पश्चात उच्चस्तरीय समिति के निर्णय के आलोक में सरकार ने सम्पूर्ण बिहार राज्य में बसने वाली गोड़ (Gour), गोंड (Gond) तथा गोंड़ (Gonr) जाति को एक ही मानते हुये सभी को जनजाति का सदस्य घोषित किया है। अत: उन्हें अनुसूचित जनजाति को मान्य सभी सुविधायें उपलब्ध होंगी।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 5305 दिनांक 10-4-73 की कंडिका-4 में यह कहा गया था कि अगर किसी प्रमंडल या जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1,000 से कम है तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में यह शर्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 147 दिनांक 21-11-90 द्वारा समाप्त कर दिया गया। दूसरे शब्दों में आरक्षण की सुविधा देने हेतु आबादी की कोई सीमा नहीं है।

3. निदेशानुसार यह भी कहना है कि कुछ जिलों से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि कार्मिक विभाग के उपर्युक्त संकल्पों के बावजूद गोड़ जाति, गोंड (Gond) जाति तथा गोंड़ (Gour) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है। सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन तीनों जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र दिया जाना है ।

4. अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों के सभी पदाधिकारियों को सरकार के उक्त निर्णय से अवगत कराते हुये निदेश दें कि सरकार के उपर्युक्त निर्णयों का पालन दृढ़ता से करें।

विश्वासभाजन,

ह०/- अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।